प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

खण्ड-3

फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 सत्र
के
प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(मार्च-अप्रैल 2020 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-3

फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2020

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्रीमती मंजू गजभिये	--	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री एम.एल. मनवानी	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [...........] दर्शाया गया है.

भोपाल :

दिनांक : 09 मार्च, 2020

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2019 सत्र	--	--	1-2
2.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--	3-46
3.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	47-63

फरवरी, 2019

दिनांक 20 फरवरी, 2019

मुख्यमंत्री द्वारा योजनाओं की घोषणा

[सामान्य प्रशासन]

1. अता.प्र.सं. 46 (क्र. 399) श्रीमती रामबाई गोविंद सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश में पिछले 05 सालों में मुख्यमंत्री द्वारा कुल कितनी योजनाओं की घोषणा की गई और कितनी योजनायें संचालित हैं?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा/योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण/राजस्व एवं विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ विभाग से जानकारी प्राप्त होना शेष है। **] जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 21 फरवरी, 2019

किसानों के ऋण माफी के तय मापदण्ड

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 540) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन की प्रदेश के सभी किसानों के लिये दो लाख तक ऋण माफी की योजना है? यदि हाँ, तो प्रदेश के कुल कितने किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे? जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या शासन द्वारा किसानों की ऋणमाफी हेतु कोई मापदण्ड तय किये हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार के? **(ग)** दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने किसानों के ऋण माफ हो चुके हैं? जिलेवार जानकारी देवें? **(घ)** दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने किसानों ने ऋण माफी न होने के कारण आत्महत्या की है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) जी नहीं। दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति में जिन किसानों पर किसान के नियमित ऋण खाते से मध्यप्रदेश स्थित ऋण प्रदाता संस्था सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रदाय अल्पकालीन फसल ऋण की राशि बकाया है। उन्हें पात्रता अनुसार 2 लाख तक ऋण माफ किया जायेगा। जिलेवार जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** कर्ज माफी की कार्यवाही प्रचलन में है। **(घ)** इस बावत विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। **] (क)** जी नहीं, दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति

में जिन किसानों पर किसान के नियमित ऋण खाते से मध्यप्रदेश स्थित ऋण प्रदाता संस्था सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रदाय अल्पकालीन फसल ऋण की राशि बकाया है। इस योजना से मापदण्ड अनुसार पात्र किसान लाभान्वित होगें, जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 20 फरवरी, 2019

<u>समस्त विभागों के उप खण्ड स्तरीय कार्यालय</u>

[सामान्य प्रशासन]

3. अता.प्र.सं.102 (क्र. 595) श्री सुनील सराफ : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा क्षेत्र में शासन के समस्त विभागों के उप खण्ड स्तरीय कार्यालय कितने हैं व वे कहाँ-कहाँ पर संचालित हैं? विभाग का नाम, स्थल सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या किन्ही विभागों के उपखण्ड स्तरीय कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव शासन स्तर पर लंबित हैं? यदि हाँ, तो कौन-कौन से एवं इन लंबित उप खण्ड स्तरीय कार्यालय को कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जुलाई, 2019

दिनांक 16 जुलाई, 2019

अनुग्रह राशि की स्वीकृति

[सामान्य प्रशासन]

1. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 58) श्री सुशील कुमार तिवारी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15 लाख रूपये अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है? **(ख)** क्या प्रदेश में संपन्न विधानसभा चुनाव 2018 एवं लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान शासकीय सेवकों के आकस्मिक निधन की घटनायें हुई हैं? **(ग)** यदि हाँ, तो ऐसे शासकीय सेवकों के उत्तराधिकारियों के बैंक खाते में 15-15 लाख रूपये जमा किये गये हैं? **(घ)** यदि हाँ, तो प्रत्येक प्रकरण में तारीखवार बैंक खातों में राशि जमा करने की जानकारी देवें। यदि नहीं, जमा किये गये है तो कारण बतावें। इसके लिये कौन जवाबदार है?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 218/6/2014-EPS, दिनांक 25-04-2014 द्वारा निर्वाचन डयूटी पर मृत कर्मचारियों को रूपये 10 लाख अनुग्रह राशि देने के निर्देश थे, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 218/6/2019-EPS, दिनांक 10-04-2019 द्वारा रूपये 15 लाख किया गया है। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान मृत 13 कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 10-10 लाख के भुगतान तथा लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मृत 08 कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 15-15 लाख के भुगतान की स्वीकृति जारी कर जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जा चुकी है। मृत कर्मचारियों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** चूंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। अत: स्वीकृत राशि संबंधित के खाते में जमा कराए जाने की जानकारी संबंधित जिलों से संकलित की जा रही है। **] (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 8 जुलाई, 2019

बीज का क्रय

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 102) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक कृषि विभाग द्वारा किस-किस योजना में कितना-कितना बीज क्रय किया गया तथा वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक जिला कटनी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा किस-किस योजना में

कितना-कितना बीज वितरण किया गया? योजनावार, फसलवार, संस्थावार बीज वितरण की जानकारी देवें एवं यह भी बताये कि मध्यप्रदेश बीज निगम कटनी के पास एवं जिले के बीज उत्पादन समितियों के पास उक्त अवधि में कितना-कितना बीज उपलब्ध था? विभिन्न योजनाओं में कितना वितरण किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बीज निगम एवं जिले की बीज उत्पादन समितियों के पास बीज उपलब्ध होने के बाद भी जिले के बाहर बीज उत्पादन समितियों से बीज खरीदने हेतु किसकी अनुमति ली गई? यदि बिना अनुमति के बीज क्रय किया गया तो उसके लिये कौन अधिकारी दोषी है? **(ग)** नियम विरूद्ध जिले के बाहर की समितियों से बीज क्रय करने के दोषी अधिकारी पर क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन के निर्देश हैं कि यदि बीज निगम के पास बीज उपलब्ध है तो अन्य संस्थाओं से बीज क्रय नहीं किया जाये? यदि हाँ, तो क्या इसके बाद भी नियमों की अवहेलना कर क्रय किया गया? यदि हाँ, तो क्या दोषी अधिकारी को जिले के प्रभार से अलग किया जायेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक जिला कटनी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा योजनावार, फसलवार, संस्थावार, बीज वितरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार** है। म.प्र. बीज निगम कटनी एवं जिले की बीज उत्पादक समितियों के पास उक्त अवधि में उपलब्ध बीज एवं योजनावार, वितरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में बीज निगम एवं जिले की बीज उत्पादन समितियों के पास उपलब्ध बीज में से योजनाओं में आवश्यकतानुसार क्रय किया गया है, शासन निर्देश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "तीन" अनुसार** है। **(ग)** नियम विरूद्ध जिले की बाहर की समितियों से बीज क्रय नहीं किया गया है, जिले की बीज निगम एवं बीज उत्पादक सहकारी समितियों के पास उपलब्ध बीज को प्राथमिकता में क्रय करने के निर्देश हैं। किन्तु यदि उक्त संस्थाओं में योजना में आवश्यकता अनुसार बीज की उपलब्धता न होने पर शासन द्वारा निर्धारित संस्था (राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम एवं बीज संघ की बीज सहकारी समितियों) से ही बीज क्रय किया जावे, जिसके तहत ही बीज क्रय किया गया है। इसलिए कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं है। नियमों के अंतर्गत ही बीज का क्रय किया गया है। नियमों की अवहेलना नहीं की गई है, अत: कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

दिनांक 11 जुलाई, 2019

<u>पुनरीक्षित वेनतमान का लाभ</u>

[उच्च शिक्षा]

3. अता.प्र.सं.6 (क्र. 114) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वेतन विसंगति हेतु गठित ब्रहम्स्वरूप समिति के द्वारा वर्ष 2006

में की गई अनुशंसा में खण्ड 2, चेप्टर 7 के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों में विद्‌यमान पद लैब टेक्नीशियन को कॉमन केटेगरी पद में रखते हुए पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया गया है, यदि हाँ, तो अनुशंसा तथा आदेश की प्रति उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11/8/2006/नियम/चार भोपाल दिनांक 14.12.2006 में समिति अनुशंसाओं के अनुसार पैरा 4 में यह निर्देशित किया गया था कि जिन विभागों में कॉमन केटेगरी के पद विद्‌यमान हैं, किंतु लाभ हेतु परिशिष्ट 1 में शामिल नहीं हो पाए है, क्या ऐसे छूटे पदों को लाभ देने हेतु क्या संबंधित विभाग द्‌वारा सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया हैं? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** क्या उच्च शिक्षा विभाग में ब्रम्हस्वरूप समिति की अनुशंसा के अनुसार खण्ड 2, चेप्टर 7 के अंतर्गत कॉमन केटेगरी में उल्लेखित पद लैब टेक्नीशियन विद्‌यमान है। यदि हाँ, तो अन्य लाभ प्राप्त विभागों की तुलना में वर्तमान में दिए जा रहे वेतनमान का ब्यौरा प्रदान करें? **(घ)** क्या वित्त विभाग, म.प्र. शासन के पत्र के पालन में उच्च शिक्षा विभाग द्‌वारा लैब टेक्नीशियन पद को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु वर्ष 2006 से आज दिनांक तक कोई प्रस्ताव भेजा गया है? यदि हाँ, तो प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करावे यदि नहीं, तो कब तक भेजा जावेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार। (ख)** जी हाँ। जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** नहीं।

दिनांक 08 जुलाई, 2019

<u>पत्र लेख की जानकारी</u>

[उद्‌यानिकी एवं खाद्‌य प्रसंस्करण]

4. अता.प्र.सं.26 (क्र. 261) श्री रामकिशोर कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या महाप्रबंधक म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल को पत्र क्रमांक 303/नि.गु.धान/2019 दिनांक 20.05.2019 लेख किया था? यदि हाँ, तो इस पत्र पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या महाप्रबंधक म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल को पत्र क्रमांक 306/रा./2019 दिनांक 20.05.2019 परिवहनकर्ता के संबंध में कार्यवाही हेतु लेख किया गया था? यदि हाँ, तो इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** जिला प्रबंधक अर्पित तिवारी बालाघाट जिले में कब से पदस्थ है, कब-कब अवकाश पर रहे, कब-कब मुख्यालय छोड़कर भोपाल शासकीय कार्य हेतु गये दिनांक वर्ष सहित पदस्थापना से वर्तमान तक जानकारी देवें एवं जिले में कब-कब कहॉ दौरा किये किस-किस वाहन से लागबुक सहित जानकारी देवें। **(घ)** जिला प्रबंधक अर्पित तिवारी की नियुक्ति कब हुई है? अब तक कितनी शिकायत हुई? कितनी जांचें लंबित हैं? नियुक्ति दिनांक से आज तक की जानकारी देवें।

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। जिला विपणन अधिकारी बालाघाट द्वारा पत्र क्रमांक/उपार्जन एवं मिलिंग/303/2019 बालाघाट, दिनांक 29.05.2019 से महाप्रबंधक (उपाएवंमि0) विपणन संघ भोपाल को भेजा गया था। जिसके अनुक्रम में महाप्रबंधक (उपा0एवं मि0) द्वारा पत्र क्रमांक/उपा0एवंमि0/धान18-19/1932/2019 भोपाल, दिनांक 07.06.2019 से महा प्रबंधक, म.प्र. स्टेट वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल को खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में भण्डारित धान के बारदाना की जानकारी उपलब्ध न कराने के संबंध में उल्लेख करते हुये जिला प्रबंधक म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के जिला प्रबंधकों को जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया था, तत्पश्चात् म.प्र. वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन सिवनी, लखनादोन, कटंगी, वेहर, बालाघाट, लालवर्रा, लॉजी द्वारा जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ग)** दिनांक 24.08.2017 से पदस्थ हैं। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है। **(घ)** दिनांक 11.07.2011 को। 02 शिकायतें प्राप्त हुईं। 01 जाँच लंबित है। श्री अर्पित तिवारी, उप प्रबंधक के विरूद्ध जिला विपणन अधिकारी ग्वालियर के पद पर पदस्थी की अवधि में वर्ष 2012-13 में उपार्जित धान का भण्डारण निजी वेयर हाउस किराये पर लेकर कराये जाने के प्रकरण में पत्र क्रमांक/जाँच/4666/दिनांक 23.07.2014 से आरोप पत्र जारी किये गये, जिसके संदर्भ में पत्र दिनांक 20.10.2014 से प्रस्तुत उत्तर के परीक्षण उपरांत अनुमोदित दर से कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति पाये जाने पर मुख्यालय आदेश क्रमांक/जाँच/9350/दिनांक 08.02.2016 के द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया। जिला विपणन अधिकारी बालाघाट के पद पर पदस्थी अवधि में कस्टम मिलिंग उपरांत सी.एम.आर. चावल जमा नहीं कराने संबंधी निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं करने के लिये पत्र क्रमांक/जाँच/5772/दिनांक 23.10.2018 से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जिसके संदर्भ में पत्र क्रमांक/1257/दिनांक 03.11.2018 एवं पत्र क्र./उपार्जन/क0मि0/447/2019 बालाघाट दिनांक 02.07.2019 से प्रेषित उत्तर पर मुख्यालय पत्र क्र0/उपा0एवं मि0/वि.स./6826/2019 भोपाल दिनांक 06.12.2019 से श्री तिवारी से उक्त संबंध में अद्यतन स्थिति की जानकारी चाही गई है, जानकारी प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 22 जुलाई, 2019

किसानों की ऋण माफी

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

5. परि.अता.प्र.सं. 2 (क्र. 273) श्री रामकिशोर कावरे : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** बालाघाट जिले की परिवहन मैपिंग 2017 से आज दिनांक तक की

जानकारी देवें। क्या प्रबंधन विपणन द्वारा भारी हेरा-फेरी की गयी है? क्या इसकी जाँच भोपाल स्तर के अधिकारी से करायेंगे? **(ख)** परिवहन मैपिंग का क्या मापदण्ड है? क्या बालाघाट प्रबंधन विपणन ने पालन किया? यदि हाँ, तो कैसे गुडरू, चांगोटोला, समनापुर, सेवा सहकारी का धान कहाँ-कहाँ परिवहन किया गया? न्यूनतम दूरी मैप कौन सा है? क्या सरकार को नुकसान प्रबंधक द्वारा पहुँचाया गया है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही करेंगे?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) बालाघाट जिले की परिवहन मेपिंग की जानकारी एकत्रित की जा रही है। परिवहन मेपिंग का कार्य जिला उपार्जन समिति द्वारा किया जाता है। परिवहन मैपिंग में कोई भी दोषी नहीं है, अत: भोपाल स्तर के अधिकारी से जाँच कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। **(ख)** परिवहन मेपिंग का मापदण्ड न्यूनतम दूरी के आधार पर किये जाने का है, उपार्जन केंद्रों से भण्डारण गोदाम/कैप की मेपिंग म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराये गये गोदामों में जिला उपार्जन समिति द्वारा मेपिंग की जाती है। जिला उपार्जन समिति/उपार्जन केंद्र का धान प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम दूरी गर्रा कैप में भण्डारण कराया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में मेपिंग के मापदण्ड का पालन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। परिवहन मेपिंग का कार्य जिला उपार्जन समिति द्वारा किया जाता है। परिवहन मेपिंग में कोई भी दोषी नहीं है। अत: भोपाल स्तर के अधिकारी से जाँच कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 08 जुलाई, 2019

<u>व्यापम घोटाले की शिकायत</u>

[गृह]

6. परि.अता.प्र.सं. 41 (क्र. 379) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या व्यापम घोटाले की जाँच कर रही CBI द्वारा मुख्य सचिव को पत्र क्रमांक V-2015A0001/3408 दिनांक 12.8.2016 भेजा गया था। यदि हाँ, तो पत्र किस दिनांक को प्राप्त हुआ तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पत्र के साथ CBI ने पूर्व विधायक पारस सकलेचा की 320 पेज की शिकायत भेजते हुये चार महत्वपूर्ण बिन्दु पृष्ठ क्र. 76,67,17 तथा 15 में उल्लेखित विषय पर कार्यवाही करने का कहा था। यदि हाँ, तो उन बिन्दुओं की जानकारी दें तथा बतावे क्या इस संदर्भ में STF अथवा गृह विभाग को जाँच हेतु कब निर्देश दिये गये। **(ग)** क्या शासन उल्लेखित पत्र के चारों बिन्दुओं पर जाँच करना चाहता है या नहीं यदि नहीं, तो क्यों? यदि हाँ, तो जाँच किस एजेन्सी से कराई जायेगी अथवा कराई जा रही है?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** से **(ग)** सी.बी.आई. के पत्र क्रमांक V-2015 A 0001/3408, दिनांक 12.08.2016 को मुख्य सचिव

कार्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 27.08.2016 को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जिस पर तकनीकी शिक्षा विभाग में कार्यवाही प्रचलित है।

दिनांक 19 जुलाई, 2019

वन भूमि पर निर्माण कार्यों की अनुमति

[वन]

7. अता.प्र.सं.10 (क्र. 413) श्री रामपाल सिंह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वन मंडल अधिकारी सामान्य वन मंडल रायसेन तथा औबेदुल्लागंज को 1 जनवरी 16 से जून 19 तक की अवधि में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ग्रामीण यांत्रिकी सेवा महाप्रबंधन प्रधानयंत्री सड़क एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में उक्त अवधि में किन-किन सांसद विधायकों के पत्र उक्त अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए उक्त पत्रों के जबाव कब-कब दिये। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई। किन-किन कार्यों की अनुमति क्यों नहीं दी गई कब तक अनुमति देंगे। **(घ)** प्रश्नांश (क) के अधिकारियों से प्राप्त पत्रों के जबाब क्यों नहीं दिया। कब तक उक्त पत्रों के जबाब देंगे।

वन मंत्री (श्री उमंग सिंघार) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** सांसद/विधायकों से प्राप्त पत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। उक्त पत्रों के जवाब दिये जाने बावत् जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** में उल्लेखित पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जिन कार्यों में अनुमति नहीं दी गई है, उसके कारणों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** में अंकित है। आवेदक संस्था द्वारा इनकी पूर्तियां करने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अधिकारियों से प्राप्त सभी पत्रों पर कार्यवाही की गई है, जिसका विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **]** **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**।

दिनांक 15 जुलाई, 2019

दमोह जिलांतर्गत फसल भण्डारण में अनियमितता

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 431) श्री राहुल सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दमोह जिले में वर्ष 2017 में खरीफ के समय चना, मसूर की खरीदी की गई थी? यदि हाँ, तो कुल कितने क्विंटल खरीदी की गई? विकासखण्डवार, समितिवार सूची दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या क्रय की गई फसल का समय पर शत्-प्रतिशत भंडारण

कर लिया गया था? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ एवं किस-किस स्थान पर भंडारण किया गया? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में खरीद किये गए चना एवं मसूर का भंडारण न हो पाने के कारण चना एवं मसूर की फसल खराब हुई थी? यदि हाँ, तो कितनी? समितिवार एवं फसलवार सूची उपलब्ध करायें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार फसल खराब होने के लिए दोषी अधिकारी कौन हैं? संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम की सूची उपलब्ध करायें। क्या दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हाँ, तो क्या नहीं तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जी नहीं। अत: शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** से **(घ)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 08 जुलाई, 2019

<u>व्यापम घोटाले पर असत्य जानकारी देना</u>

[गृह]

9. परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 466) श्री मनोज चावला : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 204 दि. 18 फरवरी 2019 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतावें कि CBI ने मात्र 212 प्रकरण की जाँच की कार्यवाही की तो फिर SIT और STF के बीच पत्र व्यवहार/निर्देश की प्रतियां उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा रही हैं? प्रश्नागत जानकारी तत्काल उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या पूर्व विधायक पारस सकलेचा के आवेदन CBI ने सितम्बर 2016 में मुख्य सचिव को कार्यवाही के लिए भेजा? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 204 दिनांक 18.2.2019 के खण्ड (ख) का भ्रामक उत्तर क्यों दिया गया? विधान सभा में असत्य उत्तर एवं गलत जानकारी देने के लिये जिम्मेदार पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या 2009 से 2015 तक निजी चिकित्सा महा. की स्टेट कोटे की सीट में फर्जीवाड़ा पाया गया था? यदि हाँ, तो प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया गया? CBI में ऐसा प्रकरण नहीं है? अत: STF को ही नहीं करना चाहिये। **(घ)** जब CBI स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि वह मात्र पूर्व में दर्ज 212 प्रकरणों की जाँच करेगी तथा शेष घोटाले की जाँच शासन अपने स्तर पर करें तो फिर बार-बार हर प्रश्न का उत्तर CBI के नाम पर टाल कर जानकारी क्यों दी जा रही है?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** सी.बी.आई. को सुपुर्द किये गये व्यापम संबंधी अपराधों में तत्कालीन एस.आई.टी. अपराधवार समीक्षा करती थी एवं अपराधवार ही विवेचक को निर्देश देती थी। दिये गये निर्देश विवेचक डायरी में सम्मिलित करते थे, जो माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन क्र. 372/15 में दिनांक 09.07.2015 को पारित आदेश के परिपालन में सी.बी.आई. को सुपुर्द किये जा चुके हैं। इस कारण प्रश्नांश की जानकारी उपलब्ध कराया

जाना संभव नहीं है। **(ख)** पूर्व विधायक पारस सकलेचा का आवेदन पत्र जो कि सी.बी.आई. के पत्र क्रमांक V-2015 A 0001/3408, दिनांक 12.08.2016 द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा गया था, को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को दिनांक 27.08.2016 को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन क्र. 372/15 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2015 अनुसार व्यापम संबंधी प्रकरणों की विवेचना सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है, पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा दिए गए आवेदन में उल्लेखित शिकायत के कई बिन्दु सी.बी.आई. को स्थानांतरित किए गए प्रकरणों से संबधित थे एवं कौन-कौन से बिन्दु पर सी.बी.आई. द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, इसकी जानकारी दी जाना संभव नहीं थी। अतः उक्त तथ्य के प्रकाश में विभाग में उपलब्ध जानकारी प्रेषित की गई थी। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** डी-मेट द्वारा निजी मेडिकल कॉलेजों में भर्ती की परीक्षा संचालित की जाती थी। इस संबंध में विवेचना इकाई निर्धारण को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट-पिटीशन क्रमांक 114/15 एवं 115/15 लम्बित है। उक्त रिट-पिटीशन में माननीय न्यायालय के आदेशानुरूप कार्यवाही संभव हो सकेगी। **(घ)** विधि अनुसार एक आरोपी को एक अपराध में दो बार आरोपित नहीं किया जा सकता है। शिकायतों के कई बिन्दु सी.बी.आई. को स्थानांतरित किए गए प्रकरणों से संबंधित है। इस कारण सी.बी.आई. के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति उपरांत ही आगामी कार्यवाही समीचीन है।

दिनांक 15 जुलाई, 2019

<u>किसानों की कर्ज माफी</u>

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

10. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 502) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश के किसानों को सरकार द्वारा कर्जमाफी के प्रमाण-पत्र देने के बावजूद भी बैंकों द्वारा किसानों को कर्ज वसूली का नोटिस दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को किस-किस बैंक के नोटिस दिये गए हैं? **(ग)** प्रश्न दिनांक तक जय किसान ऋणमाफी योजना में किस-किस जिले में कितने-कितने किसानों के खाते में किस-किस बैंक से कितनी राशि शासन द्वारा जमा कराई गई? **(घ)** प्रश्नांश (क) व (ख) में उल्लेखित कर्जमाफी एवं बैंक के नोटिस प्राप्त होने के बाद सदमें में अब तक प्रदेश में कुल कितने किसान आत्महत्या कर चुके हैं? नामवार, ग्रामवार, जिलेवार बतावें।

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) ऐसी कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं है। **(ख)** प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** विभाग से संबंधित नहीं है। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 08 जुलाई, 2019

म.प्र. में हुये व्यापम महाघोटाले की जानकारी

[गृह]

11. परि.अता.प्र.सं. 62 (क्र. 524) श्री मुन्नालाल गोयल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक व्यापम महाघोटाले के संबंध में विभिन्न जिलों में कितनी एफ.आई.आर. दर्ज हुई है? कितने प्रकरणों में असंज्ञेय अपराध दर्ज किये गये हैं? प्रकरणों के अपराध क्रमांक एवं थाना सहित जानकारी उपलब्ध करायें व वर्तमान तक कितनी शिकायतें व्यापम घोटाले की जाँच से संबंधित म.प्र. पुलिस के पास लंबित हैं व किस जाँच एजेंसी के पास शिकायतें लंबित हैं? लंबित शिकायतों की जाँच हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? लंबित शिकायतों की जाँच हेतु क्या कार्यवाही प्रस्तावित है? **(ख)** म.प्र. में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक व्यापम महाघोटाले की जाँच के दौरान व जाँच केन्द्रीय जाँच एजेंसी सी.बी.आई. को स्थानांतरित होने के पश्चात् व्यापम घोटाले की जाँच से जुड़े रहे किन-किन जिलों के, किन-किन पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों के लेपटॉप/कम्प्यूटर/दस्तावेज गुम होने, गायब होने, चोरी होने की सूचना/शिकायत प्राप्त हुई या एफ.आई.आर./असंज्ञेय अपराध दर्ज किये गये संबंधित जानकारी विस्तृत व प्रमाण सहित प्रदान करें। **(ग)** अवगत करायें कि म.प्र. में वर्ष 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक व्यापम घोटाले की जाँच के दौरान म.प्र. पुलिस के एस.टी.एफ. एवं विभिन्न जिलों की एस.आई.टी. व केन्द्रीय जाँच एजेंसी सी.बी.आई. के किन-किन अधिकारी कर्मचारियों को जाँच के दौरान म.प्र. में धमकी प्राप्त हुई या आपराधिक वारदातें उनके साथ घटित हुईं? उक्त संबंधित अपराधों की सूचना/शिकायत कब एवं किस पुलिस थाने/कार्यालय को प्राप्त हुई एवं उक्त सूचना/शिकायत पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की जानकारी दस्तावेजों सहित दें।

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** व्यापम घोटाले के संबंध में वर्ष-2014 से थाना एस.टी.एफ. भोपाल में कुल 25 एफ.आई.आर. पंजीबद्ध हुई है। थाना एस.टी.एफ. भोपाल में असंज्ञेय अपराध पंजीबद्ध नहीं है। पंजीबद्ध अपराधों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। एस.टी.एफ. में व्यापम घोटाले से संबंधित 197 शिकायतें निराकरण हेतु लंबित हैं। पुलिस महानिदेशक, म.प्र. पुलिस के आदेशानुरूप प्रक्रिया अपनाई जा रही है। विधि अनुसार एक आरोपी को एक अपराध में दो बार आरोपित नहीं किया जा सकता है। अतः लंबित शिकायतों के बिन्दु के संबंध में सी.बी.आई. से लगातार पत्राचार कर इन बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की जा रही है ताकि शेष शिकायत के बिन्दुओं पर विधि अनुसार कार्यवाही संपन्न हो सके। **(ख)** इस प्रश्नांश के संबंध में थाना एस.टी.एफ., म.प्र. भोपाल में कोई शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है। **(ग)** प्रश्नांश (ग) के संबंध में थाना एस.टी.एफ., म.प्र. भोपाल में कोई शिकायत/एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019

नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ करना

[चिकित्सा शिक्षा]

12. परि.अता.प्र.सं. 8 (क्र. 631) श्री बापूसिंह तंवर : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने राजगढ़ जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ करने संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है? यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय के राजगढ़ जिला मुख्यालय आगमन के समय हुऐ कार्यक्रम में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ करने संबंधी अनुरोध किया था? व माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कार्यक्रम स्थल पर मंच से इस संबंध में आश्वासन किया था? यदि हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से क्या निर्देश जारी किये गये? **(ग)** प्रश्नांश की कंडिका (क) एवं (ख) के आधार पर क्या राजगढ़ जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत हो जायेगा? हाँ तो कब तक?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) जी हाँ। जिला राजगढ़ मे चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु 200 बिस्तरीय अस्पताल की सुविधा एवं एम.सी.आई. की अन्य मापदण्ड पूर्ण न होने से नवीन चिकित्सालय महाविद्यालय संबंधी आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। **(ख)** जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राजगढ़ मुख्यालय आगमन के समय कार्यक्रम स्थल पर दिये आश्वासन की जानकारी एकत्रित की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्वाचन आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। **(ग)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **]** **(ख)** जी हाँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के राजगढ़ मुख्यालय आगमन के समय कार्यक्रम स्थल पर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय प्रांरभ करने संबंधी कोई औपचारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 08 जुलाई, 2019

व्यापम घोटाले की जांच

[गृह]

13. अता.प्र.सं.82 (क्र. 817) श्री कुणाल चौधरी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सी.बी.आई. व्यापम स्केम (घोटाले) के संबंध में मुख्य सचिव को सितम्बर 2016 में एक पत्र तथा उसके साथ व्यापम घोटाले पर 320 पेज की शिकायतें कार्यवाही हेतु भेजी थी? यदि हाँ, तो बताएं कि शिकायतकर्ता कौन है और क्या कार्यवाही की गयी? शिकायत तथा सी.बी.आई. के पत्र की प्रति देवें। **(ख)** क्या प्रश्नांश (क) के पत्र में चार बिंदुओं की जाँच करने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था? यदि हाँ, तो बताएं कि मुख्य सचिव ने किस दिनांक

को गृह विभाग को जाँच हेतु पत्र लिखा? पत्र की प्रति देवें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) के चार बिंदुओं में प्रथम तथा द्वितीय बिंदु यह थे कि जुलाई 2009 में तात्कालिक मुख्यमंत्री को घोटाले का पता लगने के बाद उन्होंने जाँच हेतु कमेटी बनाई? उसके बाद भी लगातार घोटाले होना यह बताता है कि शासन द्वारा गंभीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद भी कमेटी ने 13 महीने बाद रिपोर्ट दी? **(घ)** मुख्य सचिव द्वारा प्रश्नांश (क) में उल्लेखित विषय की जाँच के लिये किस दिनांक को जाँच की प्रगति रिपोर्ट हेतु गृह विभाग से पत्राचार किया गया?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** से **(घ)** सी.बी.आई. व्यापम स्केम घोटाले के संबंध में पत्र सितम्बर 2016 में प्राप्त न होकर अगस्त 2016 में प्राप्त हुआ था, जिसे दिनांक 27.08.2016 को मुख्य सचिव, कार्यालय से विधिसम्मत कार्यवाही के लिये तकनीकी शिक्षा विभाग को मूलतः प्रेषित किया गया है, जिस पर कार्यवाही तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रचलित है। इस संबंध में उपरोक्तानुसार पत्राचार तकनीकी शिक्षा विभाग से किया गया है न कि गृह विभाग से।

दिनांक 10 जुलाई, 2019

<u>बसों का संचालन</u>

[परिवहन]

14. अता.प्र.सं.52 (क्र. 859) श्री उमाकांत शर्मा : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा कितने मार्ग बसों के परिचालन हेतु चिन्हित किये गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जानकारी दें कि सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड में परिवहन विभाग द्वारा चिन्हित मार्गों पर 30 जून 2019 की स्थिति में कौन-कौन सी बसें, किन-किन कंपनियों की संचालित हैं? बस नम्बर व समय-सारणी सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में पिछले 1 वर्ष में सिरोंज-लटेरी विकासखण्ड में कितने बस एक्सीडेंट हुए? कितने लोग दिवंगत हुए? कितने लोग घायल हुए क्या उनको मुआवजा राशि उपलब्ध कराई गई? यदि हाँ, तो कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? यदि नहीं, तो क्यों? घटनावार जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बसों के परिचालन के संबंध में कितनी शिकायतें 30 जून 2019 तक प्राप्त हुई तथा कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया व कितनी शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया? वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कितनी बसें बगैर लायसेंस के संचालित पाई गई और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) परिवहन विभाग द्वारा बसों के परिचालन हेतु मार्ग को चिन्हित नहीं किया जाता अपितु वाहन स्वामी द्वारा किसी मार्ग विशेष पर बस के संचालन हेतु परमिट हेतु आवेदन किया जाने पर नियमानुसार उस मार्ग का परमिट जारी

किया जाता है। **(ख)** सिरोंज एवं लटेरी विकासखण्ड में 30 जून, 2019 की स्थिति में कुल 88 बसें संचालित हैं, जिसमें क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारी, भोपाल से जारी स्थाई परमिट पर 58, अस्थाई परमिट पर 18 एवं जिला परिवहन कार्यालय, विदिशा से जारी अस्थाई परमिट पर 12 बसें संचालित हैं। बस नम्बर, बस स्वामी व बस की समय-सारणी **पुस्ताकलय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में बसों के परिचालन के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में विदिशा जिला अन्तर्गत बगैर परमिट संचालित होती पायी गई बसों की संख्या 61 है, जिनके विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाकर शमन शुल्क रुपये 11,09,565/-, मोटरयान कर रुपये 9,18,272/- कुल राजस्व रुपये 20,27,837/- वसूल किया गया। **]** **(ग)** पुलिस अधीक्षक विदिशा से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 1 वर्ष में सिरोंज-लटेरी विकासखण्ड में कुल 7 बस एक्सीडेंट हुए, जिसमें मृतक निरंक, घायलों की संख्या 49, मुआवजा निरंक है।

शिकायतों पर कार्यवाही

[परिवहन]

15. अता.प्र.सं.56 (क्र. 874) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र.एफ 22-10-2012-आठ, भोपाल दिनांक 05 दिसम्बर 2013 के अनुसार वेण्डर मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड को शासन द्वारा अधिसूचना लागू होने के दिनांक से प्रश्न दिनांक तक कुल कितनी राशि उपभोक्ता प्रभार के रूप में प्राप्त राशि के अतिरिक्त परिवहन विभाग द्वारा किस-किस कार्य हेतु प्रदान की गई है? मदवार कुल भुगतान की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध करावें। **(ख)** परिवहन विभाग का मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड (वेण्डर) से अनुबंध होने के उपरांत से प्रश्न दिनांक तक मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड (वेण्डर) के विरूद्ध लापरवाही एवं अनियमितता किए जाने संबंधी कुल कितनी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुई हैं तथा प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या कैग ने अपनी रिपोर्ट में मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड (वेण्डर) द्वारा की जा रही लापरवाही एवं अनियमितताओं पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है? यदि हाँ, तो उक्त आपत्ति पर संबंधित फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? कैग की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराते हुए की गई कार्यवाही का ब्यौरा दें? **(ग)** क्या परिवहन विभाग के द्वारा नवीन वाहनों के जीवनकाल कर (Life Time Tax) की राशि, वाहनों की मूल्य राशि पर लगने वाले वस्तु एवं सेवाकर की रकम पर भी वसूला जाता है? यदि हाँ, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड के बीच निष्पादित अनुबंध के अंतर्गत सेवा प्रदाता मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड को माह दिसम्बर 2018 तक प्रति माहवार बनाये गये विभिन्न प्रकार के स्मार्ट कार्डों व पेपर डॉक्यूमेंट के कार्यों के भुगतान हेतु प्रस्तुत 52 देयकों की कुल राशि रूपये

90,61,27,244.00 के विरूद्ध मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड के कार्य का ई-ऑडिट/सत्यापन हेतु अधिकृत एम.पी.ई.डी.सी. द्वारा अधिरोपित पेनल्टी राशियों एवं कर आदि की कटौती उपरान्त राशि रूपये 87,51,10,025.00 का भुगतान किया गया है, जिसका सपूर्ण ब्यौरा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" एवं "अ-1" अनुसार** है। **(ख)** मेसर्स स्मार्ट चिप (वेण्डर) से अनुबंध होने के उपरांत से प्रश्न दिनांक तक 29 शिकायते प्राप्त हुई है। शिकायतों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। कम्पनी द्वारा शिकायती पत्रों का समय-सीमा में निराकरण न करने पर कम्पनी के कार्यों का ऑडिट एवं मॉनिटरिंग के लिये नियुक्त थर्ड पार्टी ऑडिटर मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कम्पनी के कार्यों की जाँच कर पेनल्टी अधिरोपित करने हेतु पत्र लिखे गये, जिस पर एम.पी.एस.ई.डी.सी. द्वारा माह जून 2018 तक कुल राशि 5,27,537/- की पेनल्टी अधिरोपित की गई। कम्पनी को उक्त राशि काटकर देयको का भुगतान किया गया। कैग (CAG) प्रतिवेदन में मे. स्मार्ट चिप लिमिटेड से संबंधित आक्षेप नहीं है। शेषांक का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 3 की उपधारा (1) का प्रथम परंतु द्वितीय अनुसूची अनुसार यान के मूल्य (कास्ट) पर जीवनकाल कर देय होता है, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर की रकम सम्मिलित होती है। नियम की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

एन.आर.आई. कोटे की जाँच

[चिकित्सा शिक्षा]

16. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 960) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 441 दि. 20.02.2019 के संदर्भ में बतावें कि जब उच्च न्यायालय के निर्देश पर वर्ष 2017 के एन.आर.आई. कोटे में 114 में से 107 फर्जी पाये गये तो फिर संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा इस परिणाम से सबक लेकर 2008 से 2018 के एन.आर.आई. कोटे की जाँच क्यों नहीं की गई? **(ख)** एन.आर.आई. कोटे से 2008 से 2018 तक चयनित अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, पता, चयन हेतु दी गई परीक्षा, प्राप्तांक तथा एन.आर.आई. से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज सहित सूची देवें तथा बतावें कि एन.आर.आई. की पात्रता की जाँच संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा की गई या नहीं? यदि की गई तो प्रश्नाधीन अवधि की दस्तावेजों की जाँच रिपोर्ट देवें। **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 441, दिनांक 20.02.2019 के खण्ड (घ) तथा (ड.) में उल्लेखित न्यायालयीन प्रकरणों के क्रमांक देवें तथा बतावें कि उक्त प्रकरणों की किस-किस दिनांक को मा. न्यायालय में सुनवाई हुई? **(घ)** वर्ष 2017 के एन.आर.आई. कोटे की उच्च न्यायालय के निर्देश पर A.F.R.C. द्वारा की गई जाँच की रिपोर्ट से अवगत करावें। जाँच रिपोर्ट की प्रति देवें तथा बतावें कि बारम्बार शिकायत के बाद भी एन.आर.आई. कोटे से अक्षम को डॉक्टर बनाने के षड़यंत्र को रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) प्रश्नांश में उल्लेखित विधानसभा प्रश्न के सन्दर्भ में 2008 से 2016 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे में प्रवेश संस्था स्तर पर ही होते थे। वर्ष 2017 से कॉमन काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा रहा है। वर्ष 2016 से पूर्ववर्ती वर्ष एवं सत्र 2018-19 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित एन.आर.आई. अभ्यर्थियों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त न होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** उत्तरांश (क) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** प्रश्नांश में उल्लेखित ए.एफ.आर.सी. की जाँच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। वर्ष 2017 से संचालनालय द्वारा कॉमन काउंसलिंग के माध्यम से एन.आर.आई. कोटे के तहत अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (ग)** प्रश्नांश में उल्लेखित प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्रमांक 441 के खण्ड (घ) एवं (ड.) में किसी न्यायालयीन प्रकरण का उल्लेख न होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 18 जुलाई, 2019

मनमाने तरीके से टोल प्लाजा पर राशि वसूली

[लोक निर्माण]

17. अता.प्र.सं.13 (क्र. 1198) श्री कुँवरजी कोठार : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 03 देवास ब्यावरा मार्ग एवं ब्यावरा गुना मार्ग पर कितनी-कितनी दूरी पर टोल टैक्स नाका निर्माण करने का नियम है? मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर ही टोल राशि वसूलने के नियम हैं अथवा अपूर्ण मार्ग होने पर भी टोल राशि वसूलने के नियम हैं? नियम की प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 03 देवास-ब्यावरा मार्ग का कितने प्रतिशत कार्य शेष है? क्या अपूर्ण कार्य होने पर भी टोल राशि वसूलने के नियम हैं अथवा शासन नियम का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हाँ, तो दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार यदि अनुबंध अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 03 देवास-ब्यावरा मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने पर एवं शासन द्वारा निर्धारित दूरी से कम दूरी पर टोल नाका स्थापित कर टोल राशि वसूली जाती है तो दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? अवगत करावें। **(घ)** राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.03 देवास-ब्यावरा मार्ग पर छापरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली करने पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सज्जन सिंह वर्मा) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रश्न लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित नहीं है, अपितु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बंधित है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** से **(घ)** **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

स्टेडियम का ट्रेक निर्माण

[खेल और युवा कल्याण]

18. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 1317) श्री अनिरुध्द मारू : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या टी.टी.नगर स्टेडियम के नव-निर्मित ट्रैक के निर्माण हेतु लगभग 5 करोड़ की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी थी? **(ख)** क्या भारत सरकार की यह शर्त थी कि ट्रैक का निर्माण उनकी अनुमोदित फर्म से ही करवाया जावे। **(ग)** क्या भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृत शर्त के विपरीत खेल विभाग द्वारा अपना टेंडर कर ट्रैक का निर्माण कराया है? **(घ)** क्या भारत सरकार की शर्त के विपरीत खेल विभाग द्वारा ट्रैक का निर्माण किया गया इस कारण भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृत राशि देने से मना कर दिया है? **(ड.)** क्या जो राशि भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाना था, परन्तु शर्त के विपरीत कार्य कराने के कारण अब वह जिम्मेदारी राज्य शासन की हो गई है? **(च)** क्या प्रकरण की जाँच की जावेगी और दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी और यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(च)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं, भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 100-21/MYAS/MDSD/2017 (I) 4017, दिनांक 27.09.2017 द्वारा राशि रू 4.49 करोड़ की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करते हुए प्रथम किश्त राशि रू 2.00 करोड़ उपलब्ध करवाई गई। **(ख)** भारत सरकार ने पत्र क्रमांक 100-21/MYAS/MDSD/2017 (I) 4017, दिनांक 27.09.2017 के पैरा क्रमांक 4 (XIII) में यह उल्लेख किया था कि कार्य सी.पी.डब्ल्यू.डी., स्टेट पी.डब्ल्यू.डी., केन्द्रीय अथवा स्टेट पी.एस.यू. से करवाया जावे। **(ग)** भारत सरकार से कार्य की स्वीकृति के पूर्व संचालनालय द्वारा दिनांक 07.05.2017 दैनिक भास्कर में निविदा प्रकाशित की जा चुकी थी। भारत सरकार को दिनांक 30.06.2017 को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें केन्द्रीय सहायता हेतु ट्रेक पुनर्स्थापना का कार्य संचालनालय द्वारा नियुक्त पी.एम.सी. द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन अनुसार किया जावेगा। इस हेतु भारत सरकार के पत्र क्र. 100-2/MYAS/MDSD/2017/4017, दिनांक 27.09.2017 की शर्त क्रमांक 4 (XIII) को विलोपित करने हेतु अनुरोध किया गया था। **(घ)** भारत सरकार ने पत्र क्रमांक 100-21/MYAS/MDSD/2017 (I) 4017, दिनांक 27.09.2017 द्वारा राशि रू 2.00 करोड़ स्वीकृत किये थे। इस पत्र के पैरा क्रमांक 4 (XIII) में यह उल्लेख किया गया था कि कार्य सी.पी.डब्ल्यू.डी., स्टेट पी.डब्ल्यू.डी., केन्द्रीय अथवा स्टेट पी.एस.यू. से करवाया जावे किंतु भारत सरकार से कार्य की स्वीकृति के पूर्व संचालनालय द्वारा निविदा प्रकाशित की जा चुकी थी, इस संदर्भ में भारत सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 100-21/MYAS/MDSD/2017, दिनांक 07.05.2019 द्वारा उक्त कण्डिका को शिथिल कर दिया है। **(ड.)** जी नहीं। **(च)** भारत सरकार के पत्र दिनांक 07.05.2019 में कंडिका को शिथिल किया गया है।

दिनांक 15 जुलाई, 2019

किसानों की क्रय की गई खरीफ फसलों का भुगतान दिलाना

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

19. परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 1353) श्री हरिशंकर खटीक : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या टीकमगढ़ जिले में खरीफ फसल जैसे उर्दा (उड़द), मूंगफली एवं अन्य क्रय करने की शासन द्वारा निर्धारित दिनांक 25 जनवरी, 2019 शाम 5 बजे थी? अगर हाँ है तो किस-किस अधिकारी के निर्देश पर कहाँ-कहाँ, कितने किसानों से, उक्त कितनी फसल दिनांक 26 जनवरी 2019 दोपहर 2 बजे तक क्रय की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के आधार पर बतायें कि समयावधि निकल जाने के बाद प्रश्न दिनांक तक इन किसानों की क्रय की गई फसलों का भुगतान कराने जिला प्रशासन एवं राज्य शासन द्वारा क्या-क्या पहल की गई है और प्रश्न दिनांक तक उसके क्या-क्या परिणाम आये है? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि समयावधि निकलने के बाद आज भी जिन-जिन किसानों ने खरीदी केन्द्र शासकीय एवं निजी वेयर हाउस में अपनी-अपनी फसलों की तुलाई करवाकर रखवा दी थी और आज भी उन्हें फसलों के दाम नहीं मिले है? ऐसे किसानों के दाम कब तक दे दिये जावेंगे? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बताये कि किस-किस अधिकारी एवं कर्मचारियों को एवं किस-किस विभाग को इसमें दोषी माना गया है?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** टीकमगढ जिले में खरीफ फसल जैसे उडद मूंगफली क्रय करने की शासन द्वारा निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2019 तक थी, टीकमगढ जिले की केन्द्रवार खरीदी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। निर्धारित तिथि 25 जनवरी, 2019 के बाद कोई फसल क्रय नहीं किया गया है। **(ख)** निर्धारित अवधि के पश्चात् फसल क्रय नहीं किया गया है। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **(घ)** उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न ही नहीं उठता है।

विभागीय कार्य योजना

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

20. परि.अता.प्र.सं. 75 (क्र. 1758) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक विभाग द्वारा उद्यानिकी विकास हेतु क्या-क्या कार्य किए गए? कितने हितग्राहियों को क्या-क्या अनुदान दिया गया? **(ख)** क्या विभाग द्वारा बिजावर विकासखण्ड में उद्यानिकी को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्ययोजना या रणनीति बनाई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। विभाग

में संचालित योजनाओं के भौतिक वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन जिलेवार किया जाता है। MPFSTS पोर्टल पर जिले के सभी विकासखण्डों में कृषक आवेदन कर लक्ष्य उपलब्ध होने पर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

दिनांक 19 जुलाई, 2019

वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव

[वन]

21. अता.प्र.सं.58 (क्र. 1856) श्री राकेश पाल सिंह : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में फलदार वृक्षों को परिवहन अनुज्ञा (टी.पी.) में छूट देकर वृक्ष काटने की अनुमति कब और किसके द्वारा दी गई? क्या उक्त अनुमति के उपरांत प्रदेश में वृहद पैमानें में फलदार वृक्षों को काटा जाने लगा जिससे प्रदेश में फलदार वृक्षों के मात्रा में तेजी से कमी आई इसके चलते पर्यावरण एवं इन वृक्षों से तमाम प्रकार के जीव-जंतु को मिलने वाला आहार/भोजन प्रभावित हुआ है? क्या फलदार वृक्षों को मृत होने के उपरांत ही काटे जाने की अनुमति एवं परिवहन अनुज्ञा में शामिल करने का प्रस्ताव शासन/विभाग के पास है? यदि हाँ, तो इसमें कब तक स्वीकृति मिलेगी यदि नहीं, तो इस हेतु शासन/विभाग कोई विचार करेगा? **(ख)** सिवनी जिले में विधान सभा क्षेत्र केवलारी में रिक्त पड़ी वन भूमि पर क्या शासन/विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किये जाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ, तो इस पर कब तक क्रियान्वयन किया जावेगा? यदि नहीं, तो उक्त रिक्त भूमि पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव शीघ्र बनाकर शासन/विभाग से अनुमति लेने की प्रक्रिया से अवगत करावे?

वन मंत्री (श्री उमंग सिंघार) : [(क) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 सितम्बर, 2015 से विभिन्न 53 वृक्षों की प्रजातियों को टी.पी. से छूट प्रदान की गई है। इन 53 प्रजातियों में फलदार प्रजातियां जैसे- बेर, शहतूत, कटहल, अमरूद, नींबू, संतरा, मोसम्बी, मुनगा, इमली, जामुन, आम एवं गूलर भी सम्मिलित है। राज्य शासन द्वारा टी.पी. में दी गई छूट के कारण वृहद पैमाने पर फलदार वृक्षों में कमी आई है तथा जीव-जंतुओं को मिलने वाला आहार/भोजन प्रभावित होने संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है। फलदार वृक्षों को मृत होने के बाद ही काटे जाने की अनुमति एवं परिवहन अनुज्ञा में सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग में प्रचलित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। नियमों में संशोधन हेतु शासन विचार करेगा। **(ख)** जी हाँ। सिवनी जिले में प्रश्नांकित क्षेत्र केवलारी में दक्षिण सिवनी वनमण्डल के केवलारी परिक्षेत्र में वर्ष 2019 में ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत 20000 पौधे रोपित किये जा रहे हैं। **] (क)** राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24 सितंबर, 2015 से विभिन्न 53 वृक्षों की प्रजातियों को अभिवहन पास से छूट प्रदान की गई थीं। मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02 जून, 2016 को धार्मिक आस्था से जुड़े हुये 2 वृक्ष प्रजातियों (पीपल एवं बरगद) को अभिवहन पास की छूट से लोप

किया गया, इसी क्रम में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 11 अप्रैल, 2017 को 9 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से छूट प्रदान की गई, इस तरह कुल 62 वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से छूट प्रदान की गई थी। इन 62 प्रजातियों में फलदार प्रजातियां जैसे- बेर, शहतूत, कटहल, अमरूद, नींबू, संतरा, मोसम्बी, मुनगा, इमली, जामुन, आम एवं गूलर भी सम्मिलित है। यह सही नहीं है कि राज्य शासन द्वारा टी.पी. में दी गई छूट के कारण वृहद पैमाने पर फलदार वृक्षों में कमी आई है तथा जीव-जंतुओं को मिलने वाला आहार/भोजन प्रभावित हुआ है। बल्कि टी.पी. से छूट प्रदान किये जाने के कारण वन क्षेत्र के बाहर निजी क्षेत्र में कृषि वानिकी के अन्तर्गत किसानों के द्वारा व्यापक पैमाने पर फलदार एवं अन्य प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है। निजी भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर, की जा सकती है। भू-राजस्व संहिता की धारा 179 के अंतर्गत भू-स्वामी की निजी भूमि पर खड़े वृक्षों पर उनका मालिकाना हक है एवं भू-राजस्व संहिता की धारा 240 एवं 241 के प्रावधानों के अन्तर्गत एक्त वृक्षों को राजस्व विभाग द्वारा काटने की अनुमति एवं दण्ड का प्रावधान निहित किया गया है। शासन द्वारा उक्त प्रजातियों की वैधानिक रूप से कटाई पर उन्हें परिवहन के लिये टी.पी. से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त कारणों से फलदार वृक्षों को मृत होने के बाद ही काटे जाने की अनुमति एवं परिवहन अनुज्ञा में सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव विभाग में प्रचलित नहीं है। प्रचलित नियमों में संशोधन का कोई विचार नहीं है एवं माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा जनहित याचिका क्रमांक 26802/2018 में दिनांक 18 जुलाई, 2019 को दिये निर्णय में आगामी आदेश तक राज्य शासन द्वारा अधिसूचना दिनांक 24 सितंबर, 2015 तथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2017 से जिन वृक्ष प्रजातियों को अभिवहन पास से छूट दी चगई थी, वह आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगी। इस संबंध में शासन द्वारा माननीय न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय पश्चात् शासन द्वारा नियमों में संशोधन के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

<u>सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी सेवानिवृत्ति का लाभ न दिये जाना</u>

[सामान्य प्रशासन]

22. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 1931) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील नंबर 670/13 एसएलपी 1428/2009 स्टेट आफ झारखण्ड विरूद्ध जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण में यह निर्णय किया गया है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् अधिकारियों कर्मचारियों का पेंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान इस आधार पर नहीं रोका जा सकता है कि उनके विरूद्ध विभागीय जाँच अथवा न्यायालयीन प्रकरण लंबित है? **(ख)** क्या पुलिस विभाग के अपने पत्र दिनांक 13.11.2018

से यह आदेश दिए गए है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् न्यायालयीन प्रकरण अथवा विभागीय जाँच के आधार पर पैंशन तथा ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं रोका जावें? **(ग)** क्या पुलिस विभाग के द्वारा जारी उक्त पत्र नियमों के विरूद्ध है? यदि नहीं तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागों को इस संबंध में परिपत्र क्यों नहीं जारी किया गया?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।] (क)** सेवानिवृत्ति के पश्चात् अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय जाँच अथवा न्यायालय प्रकरणों के लंबित रहने पर म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 64 के तहत आंतरिक पेंशन व उपादान तथा नियम 74 की प्रक्रिया अनुसार देय है। नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" पर** है। **(ख)** पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान) म.प्र. भोपाल का ज्ञाप दिनांक 13.11.2018 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख"** पर है। **(ग)** उक्त पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया, अपितु पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** वित्त विभाग के निर्देश पूर्व से हैं, अत: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 17 जुलाई, 2019

निजी मेडिकल कॉलेज में NRI कोटे से चयन

[चिकित्सा शिक्षा]

23. परि.अता.प्र.सं. 49 (क्र. 1933) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु NRI की शर्तें क्या है? उसकी प्रति देवें तथा बतावें कि यह किस वर्ष से प्रभावशील है? उसके पूर्व शर्तें क्या थी, उसकी भी प्रति देवें तथा बतावें कि पूर्व की शर्त में क्या-क्या परिवर्तन क्यों किये गये? **(ख)** क्या NRI की शर्तों में शिथिलता कर निजी मेडिकल कॉलेजों को लाभ दिया गया? क्या वर्तमान शर्तें केन्द्र शासन के आयकर विभाग की अधिकृत एन.आर.आई. की शर्तों का उल्लंघन है? यदि हाँ, तो क्या वर्तमान शर्त MCI द्वारा अनुमोदित है? **(ग)** वर्ष 2015, वर्ष 2016, वर्ष 2018 में NRI कोटे में प्रवेशित अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, पता तथा नीट के प्राप्तांक तथा रैंक सहित सूची देवें? **(घ)** क्या प्रश्नांश (ग) की सूची में उल्लेखित अधिकांश के नीट के प्राप्तांक अति न्यूनतम है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सिविल अपील क्रमांक 4060/2009 में पारित निर्णय दिनांक 27 मई, 2009 के परिपालन में निजी संस्थाओं को 15 प्रतिशत एन.आर.आई. कोटे के अन्तर्गत संस्था स्तर से अभ्यर्थियों को प्रवेश दिये जाने का अधिकार दिया गया था। मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च, 2018 तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं प्रशिक्षण विभाग, अनुसूची-3, उपनियम-10 तथा 19

जून 2019 के उपनियम 13 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र एक एवं दो अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** एवं **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(ग)** निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एन.आर.आई. कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित अभ्यार्थियों की जानकारी वर्ष 2015, 2016 एवं 2018 आर.डी. गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल, एल.एन. मेडिकल कॉलेज भोपाल, श्री अरविंदों मेडिकल कॉलेज इन्दौर, इण्डेक्स मेडिकल कॉलेज इन्दौर से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र तीन अनुसार** है। **(घ)** वर्ष 2016 मे एन.आर.आई. कोटे से प्रवेश हेतु नीट परीक्षा की बाध्यता नहीं थी एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4060/2009 में पारित निर्णय दिनांक 27 मई, 2009 के परिपालन में निजी संस्थाओं को 15 प्रतिशत एन.आर.आई. कोटे के अन्तर्गत संस्था स्तर से अभ्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने का अधिकार पारित निर्णय के पृष्ठ क्रमांक 10 एवं 11 पर उल्लेखित है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र चार अनुसार** है। संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई सूची में प्रवेश का आधार (10+2) परीक्षा में भौतिक, रसायन एवं बायोलॉजी विषय में प्राप्तांक है।

दिनांक 15 जुलाई, 2019

व्यापम घोटाले के प्रकरण

[गृह]

24. परि.अता.प्र.सं. 103 (क्र. 1958) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** C.B.I. को 13 जुलाई 2015 को व्यापम के सारे प्रकरणों की जाँच सौंपने के बाद दिनांक 27.07.2015 को S.T.F. ने P.M.T.-2012 के प्रकरण क्रमांक 12/2013 में 10 आरोपी की चार्ज शीट क्यों बनाई? उन 10 आरोपी के नाम, पता एवं केटेगरी बनावे तथा चार्जशीट बनाने का कारण बतावें। **(ख)** 9 जुलाई 2015 के बाद S.T.F. ने किस-किस व्यापम घोटाले के प्रकरण में चार्ज शीट बनाई? प्रकरण क्रमांक, आरोपी के नाम, पता सहित जानकारी देवें। **(ग)** क्या पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा व्यापम घोटाले पर S.T.F. को की गई शिकायत पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को पत्र लिखा था? यदि हाँ, तो उस पत्र के प्राप्त उत्तर की प्रति लिखे गये पत्र सहित देवें। **(घ)** क्या शासन व्यापम घोटाले की जाँच में S.T.F. द्वारा किये गये गोलमाल की जाँच करवायेगी?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका क्रमांक 417/15 में दिनांक 20.07.2015 को 245 अरोपियों के विरूद्ध एस.आई.टी./एस.टी.एफ. को विधि अनुसार कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था, जिसके तारतम्य में पी.एम.टी. 2012 के प्रकरण क्रमांक 12/2013 में एस.टी.एफ. द्वारा 10 आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किया गया। 10 आरोपियों के नाम पता, केटेगरी की **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** 09 जुलाई, 2015 के बाद

एस.टी.एफ. द्वारा 13 प्रकरणों में चार्जशीट बनाई गयी है। प्रकरण क्रमांक, आरोपियों के नाम पता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र "ब"अनुसार** है। **(ग)** हाँ, एस.टी.एफ. द्वारा पत्र क्र. समनि-1/एस.टी.एफ./रीडर/ए-26-बी/2015 भोपाल दिनांक 22/06/2015 प्रमुख, सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, भोपाल को प्रेषित किया गया था, जिसे प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को कार्यवाही हेतु भेजा गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** एस.टी.एफ. द्वारा प्रकरण में आये साक्ष्य अनुसार कार्यवाही की गई है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 16 जुलाई, 2019

आयोजनों पर व्यय

[सामान्य प्रशासन]

25. अता.प्र.सं.60 (क्र. 1996) श्री कुणाल चौधरी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री निवास पर वर्ष 2014 से दिसंबर 2018 तक किये गए पब्लिक प्रोग्राम तथा पंचायत, सम्मेलन, मिलन समारोह, धार्मिक, सामाजिक आयोजन इत्यादि की दिनांक अनुसार आयोजन अनुसार जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रोग्रामों में सब मिलकर कुल कितना खर्च हुआ। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित खर्च का भुगतन किस विभाग के निज शीर्ष में किया गया तथा सारे खर्च में से सर्वाधिक 10 भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म/व्यक्ति का नाम तथा भुगतान की कुल राशि की जानकारी दें। **(घ)** क्या प्रश्नांश (ख) की राशि में भारी अनियमितता हुई है तथा संख्याओं के 2 से 3 गुना बढ़ाकर भोजन तथा टेंट व्यवस्था पर अनाप-शनाप भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो बतावें कि प्रश्नांश (क) के प्रत्येक आयोजन में भोजन तथा टेंट का खर्च कितना-कितना है तथा भोजन की दर क्या है?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** से **(घ)** संस्कृति, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, स्कूल शिक्षा, नर्मदा घाटी विकास, महिला एवं बाल विकास, गृह, परिवहन, वित्त, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा, पर्यटन एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 से 13** पर है। शेष विभागों की जानकारी निरंक है।

दिनांक 17 जुलाई, 2019

किसान सम्मान योजना का क्रियान्वयन

[राजस्व]

26. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 2003) डॉ. नरोत्तम मिश्र : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश में केन्द्र शासन द्वारा संचालित किसान सम्मान योजना लागू

कर दी गयी है? प्रदेश में इस योजना के पात्र किसानों की संख्या कितनी है? **(ख)** क्या प्रदेश सरकार के विलंब के कारण प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के एक भी किसान को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है? यदि हाँ, तो कारण बतावें। **(ग)** योजना का लाभ (धनराशि) किसानों को कब तक प्राप्त होगा?

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) जी हाँ। पात्रता परीक्षण कर जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** पात्रतापरीक्षण उपरांत पात्र किसानों को भुगतान की कार्यवाही सतत् प्रचलित है। **] (क)** जी हाँ। दिनांक 05.12.2019 की स्थिति में पात्रता परीक्षण उपरांत पी.एम. किसान पोर्टल अनुसार पात्र किसानों की संख्या 5237289 है।

दिनांक 25 जुलाई, 2019

निजी कृषि महाविद्यालयों के संबंध में

[उच्च शिक्षा]

27. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 2105) श्री देवेन्द्र वर्मा : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में कितने निजी कृषि महाविद्यालय कार्यरत है तथा किस-किस विश्वविद्यालय के अधीन है? **(ख)** क्या प्रदेश के कई निजी कृषि महाविद्यालय ICAR की गाईड लाइन का पालन नहीं कर रहे है? यदि हाँ, तो क्यो? क्या ऐसे महाविद्यालयों की मान्यता निरस्त की जाएगी? **(ग)** क्या ऐसे निजी महाविद्यालय के BSC कृषि स्नातक के छात्र शासन के कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री के लिये प्रवेश ले रहे है? यदि हाँ, तो क्या इससे कृषि महाविद्यालय के स्नातक छात्र-छात्राओं का अहित हो रहा है? क्या कृषि स्नातक बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है? **(घ)** क्या शासन द्वारा जमीन की उर्वरा शक्ति जाँचने की मृदा विज्ञान प्रयोगशाला का निजीकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या इसे निरस्त कर प्रयोगशाला तकनीशियन की नियुक्तियाँ की जायेगी? यदि हाँ तो कब तक? **(ङ)** प्रदेश में कृषि स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री के बेरोजगार छात्र-छात्राएँ रोजगार के लिये क्या कार्ययोजना है? क्या विभाग के विभिन्न रिक्त पदो पर शीघ्रता से नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी?

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** कोई भी निजी कृषि महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय के अधीन नहीं है। **(ख)** आई.सी.ए.आर. भारत सरकार के अधीन है। अत: जानकारी उपलब्ध न होने से दी जाना संभव नहीं है। **(ग)** उत्तरांश (ख) के प्रकाश में जानकारी उपलब्ध नहीं है। **(घ)** कृषि महाविद्यालय के अधीन संचालित होने वाले मृदा विज्ञान प्रयोगशालाओं का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है, जिसका निजीकरण नहीं किया गया है। सभी प्रयोगशालाओं में प्रभारी वैज्ञानिक नियुक्त है, जिनके मार्गदर्शन में नमूने का विश्लेषण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति के संबंध में सलाह दी जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ड.) विभाग में सीधी भर्ती से विभिन्न रिक्त पदों पर पांच प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु संचालक को दी गई अनुमति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है।

दिनांक 16 जुलाई, 2019

विधायक एवं सांसदों के पत्रों पर जारी निर्देश

[सामान्य प्रशासन]

28. अता.प्र.सं.84 (क्र. 2211) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक एक जनवरी 2019 से प्रश्न-दिनांक तक अपने ई-मेल आई.डी. drhira1982@gmail.com एवं hiralal.alawa@mpvidhansabha.nic.in के माध्यम से उनके विभागीय ई-मेलों पर एवं उनके कार्यालय में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं विभागीय प्रमुख सचिवों को लिखकर दिए गए पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रत्येक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा एक जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक धार के जिला-कलेक्टर एवं पुलिस-अधीक्षक को ई-मेल के माध्यम से एवं कार्यालय में लिखित रूप से दिए गए समस्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ग)** मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधायकों एवं सांसदों के पत्रों के उत्तर निश्चित समयावधि में देने एवं विधायकों के पत्रों पर त्वरित कार्यवाही के संबंध में जो परिपत्र समय-समय पर दिनांक एक जनवरी 1990 से प्रश्न दिनांक तक की समय-सीमा में जारी किए गए, उनकी समस्त छाया प्रतियां उपलब्ध कराएं। **(घ)** क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग की जानकारी में म.प्र. में ई-मेल नीति 2014 की जानकारी है। यदि हाँ, तो क्या माननीय मंत्री महोदय विधायक-सांसदों द्वारा विभागीय ई-मेलों पर एवं मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मुख्य सचिव कार्यालय में ई-मेल पर भेजे गए पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। यदि हाँ, तो निश्चित समयावधि बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नाधीन अवधि में प्रश्नकर्ता माननीय विधायक से प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही के संबंध में मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव एवं अध्यात्म, आदिम जाति कल्याण एवं लोक निर्माण विभागों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। 38 विभागों की जानकारी "निरंक" है तथा 14 विभागों से जानकारी प्राप्त होना शेष है। **(ख)** प्रश्नकर्ता माननीय विधायक के कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक धार में प्राप्त पत्रों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 10.08.2004 से सर्व संबंधितों को परिपत्र जारी किये गये हैं। अन्तिम परिपत्र दिनांक 19 जुलाई, 2019 को जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न तिथियों में जारी किए गए परिपत्र दर्शाए गए हैं। दिनांक 19 जुलाई, 2019 को जारी

परिपत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

तृतीय वर्ग कार्यपालिक अधिकारियों के स्थानान्तरण

[सामान्य प्रशासन]

29. परि.अता.प्र.सं. 78 (क्र. 2232) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ तृतीय वर्ग कार्यपालिक अधिकारियों के एक ही स्थान पर पदस्थ रहने पर कितनी समयावधि के पश्चात् स्थानान्तरण किये जाने का प्रावधान है? **(ख)** नीमच जिले में ऐसे कौन-कौन से तृतीय वर्ग कार्यपालिक अधिकारी हैं जो विगत 3 वर्ष से भी अधिक की अवधि से नीमच जिले में ही पदस्थ हैं? विभागवार नाम एवं पदनाम सहित जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या कारण है कि प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न स्तर पर शिकायतें प्राप्त होने पर भी वे प्रश्न दिनांक तक नीमच जिले में ही पदस्थ हैं? **(घ)** क्या शासन ऐसे अधिकारियों के स्थानान्तरण कर सकेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 की कंडिका 11.4 में तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किये जाने के निर्देश हैं। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानांतरण किया जा सकता है, उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानांतरण किया ही जावे। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्तर पर कुल 120 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमे जांच उपरांत 01 सहायक उप निरीक्षक के विरूद्ध शिकायत सिद्ध पाये जाने पर थाना नीमच कैंट पर उनके विरूद्ध अप.क्र. 206/19 धारा 376 (2) (एन), 506 भा.द.वि. का पंजीबद्ध किया जाकर पुलिस लाईन संबद्ध किया गया। 01 प्रधान आरक्षक के विरूद्ध शिकायत सिद्ध पाये जाने से एक वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिये असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया एवं 04 आरक्षकों के विरूद्ध शिकायत सिद्ध पाये जाने से तीन को निंदा का दण्ड एवं 01 आरक्षक एवं पूर्व में पदस्थ निरीक्षक की संयुक्त रूप से शिकायत प्रमाणित पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक नीमच के पत्र दिनांक 20.03.2019 के माध्यम से प्रकरण पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन जोन उज्जैन की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। शेष शिकायतें जांच उपरांत सिद्ध नहीं पायी गई। अन्य विभागों की जानकारी निरंक है। **(घ)** जी हाँ।

दिनांक 17 जुलाई, 2019

केरोसीन की कालाबाजारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

30. अता.प्र.सं.93 (क्र. 2461) श्री कुँवरजी कोठार : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला राजगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत वर्ष 2016-17 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने बी.पी.एल. राशन कार्ड एवं अन्त्योदय कार्डधारी हितग्राही हैं? उचित मूल्य की दुकानवार, ग्रामवार एवं नगर में वार्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार बी.पी.एल. कार्डधारियों को एवं अन्त्योदय कार्डधारियों को क्या केरोसीन (घासलेट) तेल प्रदाय किया जाता है? यदि हाँ, तो कितनी-कितनी मात्रा में प्रति कार्डवार प्रदाय किये जाने के नियम हैं तथा कितना-कितना केरोसीन का आवंटन प्रदाय किया गया है? उचित मूल्य की दुकानवार जानकारी से अवगत करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या उचित मूल्य की दुकानों पर बी.पी.एल. कार्डधारी/अन्त्योदय कार्डधारियों को केरोसीन वितरण हेतु वितरण पंजी संधारण की जाती है? यदि पंजी संधारित नहीं की जाती है, तो क्या केरोसीन ब्लैक किया जाता है? **(घ)** विगत 3 वर्षों में कैरोसीन वितरण में अनियमितता की कितनी-कितनी शिकायतें विभाग को एवं जिला कलेक्ट्रेट को प्राप्त हुई है? प्राप्त शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है? यदि हाँ, तो क्या केरोसीन के ड्रमों सेल्समैन के घरों पर या खेत पर क्यों उपलब्ध पाये गये? स्पष्ट करें। **(ड.)** विभाग द्वारा केरोसीन की कालाबाजारी करने वाली उचित मूल्य की दुकान अथवा जवाबदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

खाद्य मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** उचित मूल्य की दुकानवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** तथा ग्रामवार व वार्डवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। केरोसीन का उक्त परिवारों को आवंटन भारत सरकार द्वारा जारी केरोसीन के आवंटन की मात्रा पर निर्भर करता है। परिवारवार उपलब्धता माहवार आवंटन के अनुरूप परिवर्तनशील है। भारत सरकार द्वारा केरोसीन का त्रैमासिक आवंटन जारी किया जाता है। वर्ष 2016 के द्वीतीय त्रैमास (अप्रैल, 2016 से जून, 2016) में राज्य को कुल 140088 के.एल. करोसीन आवंटित किया गया था। विभिन्न चरणों में केरोसीन के आवंटन में भारत सरकार द्वारा कटौती की गई है। वर्ष 2019 के तृतीय तैमास (जुलाई 2019 से सितम्बर 2019) के लिए केवल 58896 के.एल. केरोसीन का त्रैमासिक आवंटन जारी किया गया है अर्थात वर्ष 2016 के द्वतीय त्रैमास की तुलना में 81192 के.एल. केरोसीन में कटौती हुई है। **(ग)** उचित मूल्य दुकानों पर पात्र परिवारों को केरोसीन का वितरण पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें वितरण का विवरण दर्ज रहता है। पी.ओ.एस. मशीन के खराब होने अथवा अनुपलब्ध होने की स्थिति में वितरण पंजी के माध्यम से केरोसीन का वितरण किया जाता है। शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांकित अवधि में दो

शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। एक शिकायत की जांच में 5200 लीटर केरोसीन आरोपी शाकिर शेख पिता सलीम निवासी सारंगपुर से जब्त किया जाकर पुलिस में अभियोजन की कार्यवाही की गई है, जिसका अपराध क्रमांक 599/16 है। द्वितीय मौखिक शिकायत निराधार पायी गयी थी। **(ड.)** केरोसीन की कालाबाजारी के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नांश (घ) के उत्तर में समाहित है। यह प्रकरण न्यायालय सारंगपुर में प्रचलित है।

दिनांक 19 जुलाई, 2019

नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना

[अनुसूचित जाति कल्याण]

31. अता.प्र.सं.94 (क्र. 2516) श्री रामकिशोर कावरे : क्या सामाजिक न्याय मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश शासन विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेगा? **(ख)** क्या सरकार इस हेतु मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रस्ताव लायेगी? यदि हाँ, तो कब जानकारी देवें? **(ग)** क्या नाई जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने मा. मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को कोई पत्र प्रेषित किया था? यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण देवें?

सामाजिक न्याय मंत्री (श्री लखन घनघोरिया) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का अधिकार भारत सरकार को प्रदत्त है। दिनांक 23 मार्च, 2007 को विधानसभा द्वारा नाई जाति को प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु पारित अशासकीय संकल्प क्रमांक 2.49 पर कार्यवाही हेतु विभाग के पत्र क्रमांक एफ 23-02/2007/4/25, दिनांक 16 मई, 2007 द्वारा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है तथा दिनांक 09.07.2015 को स्मरण कराया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** पत्र क्रमांक व दिनांक का उल्लेख न होने से जानकारी दी जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

साम.स्वा.केन्द्र मऊगंज अंतर्गत देवतालाब ढेरा में संचालित अवैध दवा दुकानों की जाँच

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

32. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 2529) श्री गिरीश गौतम : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज अंतर्गत ग्राम ढेरा एवं देवतालाब में कुल कितनी दवा की दुकानें संचालित है और ये दुकानें कब से संचालित है तथा इनका नवीनीकरण कब कब किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) में वर्णित दवा दुकानों की जाँच विगत 3 वर्षों में कब-कब, किस अधिकारी द्वारा की गयी? अधिकारी का नाम पद एवं

जाँच प्रतिवेदनों की प्रति देवें। **(ग)** क्या दुकानों में अवैध रूप से बिक्री किये जा रहे दवाईयों एवं नशीली सीरपों एवं गोलियों की जाँच जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों से कराया जाकर अवैध बिक्री पर रोक लगाने की कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो जाँच कब-तक शुरू की जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मऊगंज के अंतर्गत ग्राम ढेरा एवं देवतालाब में क्रमश: 03 एवं 16 दुकानें हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" एवं "ग" अनुसार** है। **(ग)** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 21 के अंतर्गत नियुक्त निरीक्षक को जांच करने का अधिकार है। उक्त अधिनियम की धारा 21 की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "घ" अनुसार** है। इस प्रशासन के आदेश क्रमांक व्ही/मिस./जुलाई-3576 भोपाल दिनांक 12.07.2019 द्वारा जांच दल गठित किया गया है, आदेश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ड." अनुसार** है।

दिनांक 19 जुलाई, 2019

जिम्मेदारों पर कार्यवाही

[नगरीय विकास एवं आवास]

33. अता.प्र.सं.104 (क्र. 2680) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर-निगम सतना में वर्तमान में कितने कर्मचारी किस पद पर पदस्थ होकर कार्य कर रहे हैं, का विवरण पद एवं कार्य आवंटन सहित देवें? ये संबंधित पद पर विभाग में कितने वर्षों से कार्य कर रहे हैं? इनके कार्यों में परिवर्तन हेतु आदेश कब-कब जारी किये गये, की प्रति देते हुये बतावें। इस हेतु शासन के क्या आदेश एवं निर्देश हैं, की भी प्रति देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कार्यरत कर्मचारियों में से कितने ऐसे कर्मचारी हैं, जिनसे उनकी योग्यता एवं मूल पद से हटाकर कार्य लिये जा रहे हैं, का विवरण देते हुये बतावें कि इनसे इस तरह के कार्य कब से लिये जा रहे हैं और क्यों **(ग)** प्रश्नांश (क) में वर्ष 2011 से कितने कार्य किन-किन संविदाकारों/ठेकेदारों द्वारा कराये जा रहे हैं? इनके कार्यादेश कब-कब जारी किये गये, की प्रित देते हुये बतायें कि कार्यादेश के पूर्व क्या टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई तो कब-कब? उसकी प्रति देवें। वर्तमान में इन कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? कार्यों की जाँच कब-कब, किन-किन सक्षम अधिकारियों द्वारा की गई? जाँच की प्रति देते हुये बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के कर्मचारी एक ही निकाय में एक ही पद पर, एक ही जगह कार्य कर रहे हैं, जिनको अन्यत्र निकायों में पदस्थ किये जाने बाबत् कब तक आदेश जारी करायेंगे साथ ही प्रश्नांश (ग) अनुसार जिन कर्मचारियों द्वारा अपने सगे संबंधियों के नाम कार्य आदेश जारी कर नगर-निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, उसकी जाँच कराकर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे? अगर

कार्य मौके पर नहीं है, राशि आहरित कर ली गई तो संबंधितों से राशि की वसूली के साथ उन पर आपराधिक प्रकरण गबन के दर्ज करावेंगे तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। कर्मचारियों के संबंधित पद पर कार्य परिवर्तन संबंधी शासन के कोई आदेश नहीं है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** कार्यालयीन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु दायित्व सौंपे जाते हैं। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार है। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ग" अनुसार** है। **(घ)** अन्यत्र निकायों में पदस्थ किए जाने संबंधी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। नगर निगम, सतना में सगे संबंधियों के नाम कार्य आदेश जारी करने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं होने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

लोकतंत्र सेनानियों को दिये जाने वाली सम्मान निधि

[सामान्य प्रशासन]

34. अता.प्र.सं.41 (क्र. 2943) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि देने के क्या नियम है? वर्तमान में किन जिलों में सम्मान निधि नहीं मिल रही है तथा वहां कब तक सम्मान निधि देना प्रारंभ कर दिया जायेगा? विलम्ब के लिए कौन दोषी है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** भोपाल संभाग में जून 2019 की स्थिति में कितने लोकतंत्र सेनानी है? उनके नाम, पता एवं कितनी सम्मान निधि दी जा रही है?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** लोकतंत्र सेनानियों को मध्यप्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान नियम 2018 के तहत सम्मान निधि प्रदाय की जाती है, जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। वर्तमान में समस्त जिलों में सम्मान निधि मिल रही है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** भोपाल संभाग में जून 2019 की स्थिति मे कुल 345 लोकतंत्र सेनानी है। उनके नाम, पता एवं सम्मान निधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।

दिनांक 19 जुलाई, 2019

सिंहस्थ 2016 में व्यय राशि

[नगरीय विकास एवं आवास]

35. परि.अता.प्र.सं. 156 (क्र. 3034) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सिंहस्थ 2016 के अंतिम आंकडों के खर्च संबंधी

रिपोर्ट तैयार हो गई है? यदि हाँ, तो कुल कितना खर्च हुआ तथा जिन लगभग 40 विभागों द्वारा कार्य कराये गये उनकी विस्तृत रिपोर्ट देवें कि किस-किस विभाग द्वारा किस कार्य के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा उत्तर दिनांक तक कितनी राशि खर्च की गई? **(ख)** सिंहस्थ 2016 में आर्थिक अनियमितता, गड़बड़ी आदि के संज्ञान में आये प्रकरणों की विभाग अनुसार, संबंधित राशि, जिम्मेदार का नाम, पद प्रकरण का प्रकार सहित जानकारी दें तथा बतावें कि किस-किस पर कार्यवाही प्रचलन में है? **(ग)** मंत्रि-मंडल समिति तथा खरीदी हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने वाली समिति द्वारा तैयार की गई विस्तृत कार्ययोजना तथा स्वीकृति (खरीदी) प्रदान की अंतिम संपूर्ण सूची प्रस्तुत करें तथा बतावें कि खरीदी में पारदर्शिता हेतु क्या-क्या किया गया है?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) जी नहीं। अंतिम आंकड़े संबंधी जानकारी अन्य विभागों से प्राप्त की जा रही है**,** वर्तमान तक विभिन्न विभागों को स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** अन्य विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** अन्य विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख)** एवं **(ग)** विभागों से उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 24 जुलाई, 2019

<u>बगैर दर निर्धारण कैरोसिन का विक्रय</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

36. अता.प्र.सं.40 (क्र. 3091) श्री विनय सक्सेना : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जबलपुर जिले में अप्रैल 2018 से मई 2019 की अवधि में कलेक्टर जबलपुर द्वारा कैरोसिन के निर्धारित विक्रय दर क्या थी और थोक कैरोसिन डीलरों द्वारा तथा शासकीय उचित मूल्य की दुकानदारों द्वारा किस दर पर विक्रय किया गया? **(ख)** क्या कैरोसिन डीलरों एवं शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर कैरोसिन उपभोक्ताओं को वितरित किया गया है? यदि हाँ, तो इस वितीय कदाचरण के लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा? **(ग)** जबलपुर जिले में अप्रैल 2018 से मई 2019 की अवधि में आवंटित कैरोसिन डीलरों के भंडारण स्थल से शासकीय उचित मूल्य दुकानों के बीच की दूरी तथा आवंटित मात्र की दुकानवार जानकारी प्रदान करें। **(घ)** क्या कैरोसिन थोक विक्रेताओं को कैरोसिन प्रदाय हेतु उनके नजदीक की शासकीय उचित मूल्य की दुकानें न आवंटित कर, दूर की दुकानें आवंटित की गयी, ताकि डीलरों को परिवहन में अवैध लाभ दिया जा सके? यदि हाँ, तो इस कदाचरण के लिए कौन-कौन से अधिकारी दोषी हैं और शासन उन पर क्या कार्यवाही करेगा?

खाद्य मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** प्रश्नांकित अवधि में केरोसीन के निर्धारित विक्रय दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। ऑयल कंपनी से डिपों की क्रय दर एवं उचित मूल्य दुकानदारों को प्रदाय दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** केरोसीन की एक्स-डिपो दर में तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रत्येक 15 दिवस में 25 पैसे की वृद्धि की जाती है। केरोसीन की पाक्षिक दर वृद्धि के अनुरूप ही थोक विक्रेताओं द्वारा बिल जारी किया गया है, ताकि उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। इस प्रकार उसमें कोई वित्तीय कदाचरण नहीं हुआ है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 22 जुलाई, 2019

<u>विभागीय कार्य</u>

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

37. अता.प्र.सं.72 (क्र. 3134) श्री महेश परमार : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व सरकार के कार्यकाल में म.प्र. कृषि अभियांत्रिकी निगम भोपाल द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम से आयरन फेब्रिकेटेड यात्री प्रतीक्षालय के कार्य के लिए MOU किया गया था? यदि हाँ, उस अनुबंध में सेवा शर्तें क्या थी और उन शर्तों के अनुसार क्या निगम द्वारा कार्य किया गया? यदि प्रगतिरत है तो समय-सीमा की जानकारी दें? यदि अपूर्ण है तो कारण बताएं। **(ख)** वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक निगम द्वारा बायोगैस संयंत्रों की स्थापना कितने जिलों में की गयी? जिलेवार जानकारी प्रस्तुत करें। **(ग)** विगत 10 वर्षों में निगम द्वारा स्वयं के संयंत्रों से कितना पोषण आहार मध्यप्रदेश में प्रदाय किया गया तथा कुल कितने निर्माता डीलर इस कार्य के लिए कब-कब पंजीकृत हुए? उनके अनुबंध की शर्तें क्या थी अथवा है? क्या सामग्री का रेट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की निविदा आमंत्रित करके कार्य सम्पादित किया गया? भुगतान के पहले सामग्री का सत्यापन किसके द्वारा किया गया? प्रमाणित जानकारी देवें। **(घ)** वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक क्या निगम द्वारा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषकों एवं अन्य विभागों संस्थाओं को कृषि उपकरण, अन्य कृषि उपकरण एवं सामग्री उपलब्ध कराई गयी? यदि हाँ, तो उन सामग्रियों का नाम, मात्रा, दर वर्ष वार प्रस्तुत करें एवं लाभान्वित किसानों की संख्यात्मक सूची देवें।

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (घ)** जी हाँ। वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक निगम द्वारा कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, कृषक एवं अन्य विभागों एवं संस्थाओं को निम्नानुसार कृषि

उपकरण एवं अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराई गई है :- बैल चलित कृषि उपकरण, हस्तचलित कृषि उपकरण, ट्रैक्टर चलित कृषि उपकरण, पावर चलित कृषि उपकरण, विद्युत एवं डीजल पम्प, स्प्रिंकलर सेट, ड्रिप सेट, पौध संरक्षण यंत्र, ट्रैक्टर, पावर टिलर, ट्राली, सीड एवं पौधे, प्री-फेब्रीकेटेड स्टील स्ट्रक्चर, मिट्टी परीक्षण यंत्र, पाईप लाईन, टेंकर, पानी की टंकियां, अनाज कोठी, उन्नत चूल्हे, सीड ग्रेडर आदि। जिलावार, वर्षवार सामग्रियों की मात्रा एवं दर का विवरण से संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 अनुसार** है। लाभान्वित किसानों की संख्यात्मक सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2014 - 15	159074
2	2015 - 16	192539
3	2016 - 17	245240
4	2017 – 18	263523
5	2018 – 19	177062
6	2019 – 20	70687
	कुल योग	**1108125**

दिनांक 25 जुलाई, 2019

सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगवाना

[खेल और युवा कल्याण]

38. अता.प्र.सं.34 (क्र. 3175) श्री अशोक रोहाणी : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश शासन ने प्रदेश में बिजली की खपत को कम करने व सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाने बाबत् क्या योजना बनाई है एवं इस संबंध में शासन ने कब क्या निर्देश जारी किये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में प्रदेश शासन ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर को सौर ऊर्जा हेतु सोलर पैनल लगाने के लिए कब, कितनी राशि आवंटित की है? मूल योजना क्या है? इसके लिए विश्वविद्यालय के लिए किन-किन भवनों में सोलर पैनल लगाये जाने हैं? इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने कब, क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? **(ग)** प्रश्नांकित विश्वविद्यालय जबलपुर में माहवार बिजली की औसत खपत कितनी है एवं बिजली बिल की कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? सोलर पैनल के लगने से विश्वविद्यालय को माहवार कितनी राशि की बचत होगी? वर्ष 2017-18 से 2018-19 मार्च 19 तक माहवार भुगतान की गई बिजली बिल की राशि की जानकारी दें।

खेल और युवा कल्याण मंत्री (श्री जितू पटवारी) : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** प्रश्न का संबंध ऊर्जा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग से है। ऊर्जा विकास निगम एवं उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त उत्तर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 22 जुलाई, 2019

स्थापना शाखा में तीन वर्ष से अधिक पदस्थ कर्मचारियों का स्थानान्तरण

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

39. अता.प्र.सं.89 (क्र. 3300) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्थापना, सी.आर., विभागीय जाँच एवं स्टोर शाखा में तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को नहीं रखे जाने के आदेश जारी किया गया है? **(ख)** स्थापना, सी.आर., विभागीय जाँच एवं स्टोर शाखा में कौन-कौन से कर्मचारी एवं अधिकारी कब से पदस्थ हैं? उनकी सूची उपलब्ध कराएं। तीन वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण करने हेतु प्रश्न क्र. 5027, दिनांक 27 मार्च, 2018 पूछा गया था, उसमें से कितने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है, सूची बताएं? यदि स्थानांतरण नहीं किया गया है तो कारण बताएं? **(ग)** वर्षों से स्थापना शाखा में कार्यरत कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानांतरण हेतु प्राप्त शिकायत पर सी.आर. शाखा में क्यों पदस्थ किया गया तथा सी.आर. शाखा में उसी कर्मचारी की प्राप्त शिकायत पर पुन: स्थापना शाखा में क्यों पदस्थ किया गया? यदि स्थापना शाखा में पदस्थ करने हेतु शासन को कोई आदेश है तो बताएं? यदि नहीं, तो नियम के विरूद्ध पदस्थापना किये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? उक्त कर्मचारी को अन्य शाखा में कब तक स्थानांतरित किया जावेगा? **(घ)** विगत तीन वर्षों से अधिक स्थापना, सी.आर., विभागीय जाँच एवं स्टोर शाखा एवं ऊर्वरक, पी.पी. शाखा में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अन्य शाखाओं में कब तक स्थानांतरित किया जावेगा?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" एवं "दो" अनुसार** है। कर्मचारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये कुछ कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं। **(ग)** प्रश्नांश में उल्लेखित ऐसे कोई कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** अमले के अभाव के कारण समयावधि दी जाना संभव नहीं है।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

धमार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय में संचालित दुकानें

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

40. अता.प्र.सं.81 (क्र. 3506) श्रीमती नंदनी मरावी : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी नगर के धमार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय के अन्दर दवाई की दुकान कब से संचालित है, उक्त दवा दुकान क्या चिकित्सालय द्वारा संचालित है या

किसी को ठेके में दी गई है? यदि हाँ, तो कब और किसको तथा उक्त दुकान का ड्रग लाइसेंस किसके नाम है? दुकान संचालक की शैक्षणिक योग्यता क्या है? क्या उक्त चिकित्सालय द्वारा अधिनियम की धारा 65 का पालन किया जा रहा है या नहीं बताएं? **(ख)** क्या उक्त चिकित्सालय में पैथोलॉजी संचालित है? यदि हाँ, तो उसके रिपोर्ट पर किस डॉ. के हस्ताक्षर होते हैं तथा उसकी योग्यता क्या है तथा कौन-कौन सी जाँच चिकित्सालय में की जाती है और उसकी फीस क्या निर्धारित है। **(ग)** उक्त चिकित्सालय में कितने सदस्य एवं पदाधिकारी हैं, उनके चुनाव कब तक के लिए हुये थे? पदाधिकारी सहित विवरण दें। **(घ)** क्या उक्त चिकित्सालय एक धमार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय है? यदि हाँ, तो शासन स्तर से उक्त चिकित्सालय को क्या किसी प्रकार का अनुदान विधायकों, सांसद एवं शासन से प्राप्त है? यदि हाँ, तो उक्त अनुदान चिकित्सालय में किस सेवा हेतु प्रदान किया जा रहा है एवं विगत 3 वर्ष में प्रश्न दिनांक तक प्रति वर्ष प्राप्त अनुदान अनुसार कितने हितग्राहियों को लाभ प्राप्त हो चुका है? **(ड.)** क्या एक चिकित्सालय जिसमें ओ.पी.डी. एवं आई.पी.डी. की सुविधा होती है। उसमें एक निम्नतम स्टाफ 24 घंटे होना अनिवार्य होता है? यदि हाँ, तो क्या उक्त चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध है? उक्त धमार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय के प्रारंभ में दिनांक से प्रश्न दिनांक तक प्रशासन एवं सी.एम.एच.ओ. कार्यालय की टीम द्वारा क्या समय-समय पर निरीक्षण किया गया? यदि हाँ, तो निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति दें? यदि नहीं, तो क्यों कारण बताएं एवं निरंतर निरीक्षण ना करने के लिए कौन दोषी है, उस पर शासन क्या कार्यवाही करेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** कटनी नगर में धमार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय के अंदर नहीं अपितु बाबा माधवशाह चिकित्सालय, माधव नगर, कटनी के अंदर दवाई की दुकान है जिसके लिये दिनांक 03.02.2018 को औषधि विक्रय अनुज्ञप्तियां जारी की गई है। बाबा माधवशाह चिकित्सालय, संचालन एवं विकास समिति के अध्यक्ष श्री करमचंद असरानी पिता श्री सतराम असरानी के द्वारा श्री दिलीप कुमार असरानी को किराये पर दी गई है। दुकान मेसर्स बी.एम.सी. मेडिकोज, बाबा माधवशाह चिकित्सालय कैंपस, माधवनगर, कटनी (म.प्र.) के नाम से है एवं उक्त दुकान के प्रोप्रायटर श्री दिलीप कुमार असरानी है। कार्यलयीन दस्तावेजों के आधार पर दुकान के प्रोप्रायटर की शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 में धारा 65 का उल्लेख नहीं है, अपितु इसी अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमावली, 1945 में नियम 65 का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत चिकित्सालय नहीं अपितु लायसेंसधारी द्वारा औषधि एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 का नियम 65 का पालन किया जाना औषधि निरीक्षक कटनी द्वारा दिनांक 20.02.2019 को किये गये निरीक्षण के दौरान पाया गया है। **(ख)** जी हाँ। पैथोलॉजी रिपोर्ट पर डॉ. बलदेव सिंह, ए.म.डी. मेडिसिन। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग)** बाबा माधवशाह धमार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय की संचालन एवं विकास समिति में कुल 17 सदस्य हैं तथा 08 पदाधिकारी हैं, समिति का चुनाव दिनांक 22.06.2017 को हुये तथा कार्यकाल 03 वर्ष के लिये

निर्धारित है, पदाधिकारियों की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार** है। **(घ)** जी हाँ। जी हाँ। विधायक से प्राप्त अनुदान से आई.सी.यू. निर्माण, मशीन एवं उपकरण क्रय इत्यादि कार्य किया जा रहा है। विगत 03 वर्ष में कुल 556 मरीजों को लाभ प्रदान किया गया है। **(ड.)** जी हाँ। जी हाँ। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>वेबसाइटों का संधारण और योजनाओं का मूल्यांकन</u>

[सामान्य प्रशासन]

41. अता.प्र.सं.85 (क्र. 3532) श्री प्रहलाद लोधी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या योजनाओं/कार्यक्रमों का तृतीय पक्ष से मूल्यांकन कराये जाने के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 04/02/2016 को आदेश पत्र जारी किया गया है? यदि हाँ, तो विभाग का पत्र क्या है और पत्रानुसार क्या-क्या कार्यवाही की जानी थी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत् पन्ना जिले में उपरोक्त निर्देश कब प्राप्त हुये और इन निर्देशों पर कब-कब एवं क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या पन्ना जिले के समस्त शासकीय विभागों में इन निर्देशों के पालन में विभागीय कार्यों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का बाह्य मूल्याकंन कराया गया तथा इसके क्या-क्या परिणाम प्राप्त हुये और निर्देशानुसार सामान्य प्रशासन को कब-कब, क्या अवगत कराया गया? विभागवार बतायें। **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में पन्ना जिले में बाह्य मूल्यांकन कार्य न होने के क्या कारण रहे? क्या विभागीय निर्देशों के स्पष्ट उल्लंघन के जिम्मेदारों पर कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(ख)** उक्त निर्देश जिला कलेक्टर्स को पृष्ठांकित नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (ख) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता। **(घ)** उत्तरांश (ख) एवं (ग) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 24 जुलाई, 2019

<u>दोषियों को अन्यत्र हटाते हुए जाँच कराकर कार्यवाही</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

42. अता.प्र.सं.80 (क्र. 3568) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार राशन सामग्री के आवंटन को पोर्टल पर दर्ज करने, आवंटन उपरांत सी.एस.एम.एस. सॉफ्टवेयर पर एन.आई.सी. द्वारा आवंटन डाटा उपलब्ध कराया जाना, जिसके आधार पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदाय केन्द्रों से डी.ओ./आर.ओ. जारी कर परिवहन को सामग्री उठाव हेतु प्रदान करने के प्रावधान हैं? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो सतना जिले में

किन-किन संविदाकारों/ठेकेदारों को सामग्री उठाव कर उचित मूल्य की दुकानों में पहुंचाने का आदेश किन अनुबंधों की शर्तों पर कितनी अवधि के लिए दिया गया? प्रति देते हुए बतावें। दुकानों पर उठाव कर सामग्री वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक किन दुकानों पर सामग्री पहुँचाई? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में शासन के जारी आदेशों एवं जारी निर्देशों के विपरीत सतना जिले के वेयर हाऊसिंग कॉर्पोरेशन यूनिट क्र. 2 गोदाम नं. 12 एवं 13 में अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा मारी गई छापेवारी की कार्यवाही के दौरान 1262 बोरी शक्कर गोदाम क्रमांक 13 में एवं 40 बोरी शक्कर गोदाम नं. 12 में पकड़ी गई। संबंधित मैनेजर आर.पी. उपाध्याय ठेकेदार विशाल जायसवाल एवं जिला खाद्य नागरिक अधिकारी नागेन्द्र सिंह के विरूद्ध कालाबाजारी के प्रकरण तैयार कर अपराधिक प्रकरण दर्ज क्यों नहीं कराए गए, जबकि पूर्व में श्री उपाध्याय द्वारा गरीबों के धान को व्यापारियों को बेचकर किसानों की राशि का भुगतान नहीं किया गया, श्री उपाध्याय एवं श्री नागेन्द्र सिंह पिछले पाँच वर्षों से ज्यादा समय से पदस्थ हैं, जबकि शासन के मंशानुसार प्रत्येक तीन वर्षों से स्थानान्तरित कर दिए जाने चाहिए। इस पर भी कार्यवाही लंबित है? **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आदेशों के परिपालन में प्रश्नांश (ग) अनुसार शक्कर के कालाबाजारी में संलिप्तों के विरूद्ध कार्यवाही न होने पर दिनांक 01.04.2019 को श्री जे.पी. कुशवाहा एवं दिनांक 05.04.2019 को कार्यवाहक अध्यक्ष जिला सतना द्वारा कलेक्टर सतना को पत्र दिया, जिस पर कार्यवाही अपेक्षित हैं, क्यों? **(ड.)** प्रश्नांश (क) (ख) के निर्देशों से हटकर प्रश्नांश (ग) के कर्मचारियों एवं ठेकेदारों द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में शक्कर एवं अन्य खाद्य सामग्री न पहुंचाने एवं कालाबाजारी में लिप्त संबंधित दोषियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने एवं जिम्मेदारों को अन्यत्र हटाते हुए जाँच करावेंगे तो कब तक, अगर नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जी हाँ। **(ख)** सतना जिले में सामग्री का उठाव करने वाले संविदाकारों/ठेकेदारों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। अनुबंध की शर्तों का उल्लेख निष्पादित अनुबन्ध पत्र में है जिसकी **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। दुकानों पर उठाव कर सामग्री वर्ष 2015 से प्रश्न दिनांक तक जिले के समस्त दुकानों पर आवंटन के अनुरूप सामग्री पहुंचाई गई है। उचित मूल्य दुकान के नाम की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में जिले के वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन यूनिट क्र. 02 गोदाम नं. 12 एवं 13 में अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर द्वारा दिनांक 02.04.2019 को तहसीलदार रघुराजनगर तथा सहायक आपूर्ति अधिकारी के साथ वेयर हाउस की जांच की गई। **(घ)** प्रकरण में मैनेजर श्री आर.पी. उपाध्याय एवं परिवहनकर्ता श्री विशाल जायसवाल के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। श्री नागेन्द्र सिंह को मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 2-01 (7-1) 2019/29-2 भोपाल, दिनांक 02 जुलाई, 2019 से स्थानान्तरित कर प्रभारी जिला आपूर्ति

अधिकारी जिला श्योपुर पदस्थ किया गया है तथा नवीन पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने हेतु जिला सतना से दिनांक 15.10.2019 को भारमुक्त किया गया था। इस पर श्री नागेन्द्र सिंह द्वारा न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है। **(ङ.)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार कार्यवाही की गई है।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

जाति प्रमाण पत्र का न बनाया जाना

[सामान्य प्रशासन]

43. अता.प्र.सं.106 (क्र. 3664) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. के किन-किन जिलों में पाल समाज के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये हैं? जिलावार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत पूर्व के वर्षों में पाल समाज के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये हैं? यदि हाँ, तो किस आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किये गये हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार जिला राजगढ़ अंतर्गत यदि पूर्व में पाल समाज के लोगों को अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाये गये हैं, तो वर्तमान प्रशासकीय अधिकारी द्वारा पूर्व के बनाये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनाये जा रहे हैं? स्पष्ट करें। **(घ)** क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत पाल समाज छात्र/छात्राओं तथा लोगों के अन्य पिछड़ावर्ग के जाति प्रमाण पत्र कब तक बनाये जावेंगे?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** से **(ग)** शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़ा वर्ग की सूची में अनुक्रमांक 23 पर गड़रिया, धनगर आदि जातियों के साथ गड़रिया (पाल बघेले) जाति अंकित है जबकि कैफियत में पाल व बघेले को गड़रिया जाति की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है। अत: राजगढ़ जिले सहित समस्त प्रदेश में तद्नुसार पात्र व्यक्तियों के नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जिला राजगढ़ में गडरिया (पाल) जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाया जाना शेष नहीं है।

दिनांक 24 जुलाई, 2019

उज्जैन इंदौर संभाग में बिना परमिट की बसें

[परिवहन]

44. अता.प्र.सं.90 (क्र. 3755) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन, इंदौर संभाग वर्तमान में किस-किस मार्ग पर कौन-कौन सी निजी बसों के परमिट जिला परिवहन अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी ने किस-किस दर से कहाँ-कहाँ के लिये जारी किये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जारी किये गये परमिट के

रूट को लेकर कब-कब एवं किस-किस व्यक्ति ने बस मालिक के खिलाफ शिकायत की? उस पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या उज्जैन संभाग में मुख्य शहरों के बीच बड़ी कंपनियों द्वारा मात्र 1 परमिट लेकर प्रतिदिन 4 से 5 बसों का संचालन 2 से 3 फैरों में किया जा रहा है तथा अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों रूपयों के विभागीय राजस्व की विभाग को हानि हो रही है, इसकी जाँच उच्चस्तरीय अधिकारियों ने उक्त संभाग में कब-कब की? **(घ)** क्या बड़े शहरों के बीच चलने वाली डबल डेकर बसों को बस स्टैण्ड में आने की पात्रता नहीं है तथा एक गन्तव्य से दूसरे गन्तव्य तक बीच में कही भी सवारी बिठाने का अधिकार बस मालिक को नहीं है? ऐसे कितने परमिट विभाग ने जारी किये?

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जिला परिवहन अधिकारी उज्जैन एवं संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उज्जैन संभाग के अन्तर्गत निजी बसों को जारी किये गये परमिटों की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जारी किये गये परमिट के रूट को लेकर किसी भी बस मालिक के खिलाफ शिकायत प्राप्त नहीं है। बस संचालकों द्वारा बसों के समय चक्र को लेकर आपत्तियां प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा सुनवाई कर यथा संभव निराकरण किया जाता है। **(ग)** प्रश्नांकित मात्र 1 परमिट प्रतिदिन 4 से 5 बसों का संचालन या 2 से 3 फेरे का संचालन किये जाने संबंधी न तो कोई शिकायत प्राप्त है और न ही ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में आया है। समय-समय पर अवैध वाहनों की जांच की जाती है। यदि ऐसे प्रकरण जांच के दौरान आते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। अतः अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों रूपये की हानि विभाग को होने एवं कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** इन्दौर कार्यालय में डबल डेकर बस पंजीकृत नहीं है एवं न ही डबल डेकर बस को परमिट जारी किया गया है। उज्जैन संभाग के अन्तर्गत बड़े शहरों के बीच यद्यपि डबल डेकर बसों का संचालन होता है जिन्हें एक गन्तव्य से दूसरे गन्तव्य तक सवारी बिठाने अथवा उतारने का अधिकार बस संचालक को परमिट की शर्तों के अनुरूप रहता है।

दिनांक 25 जुलाई, 2019

<u>अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्त सहायक ग्रेड-3 को वेतनवृद्धि का लाभ</u>

[लोक निर्माण]

45. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 3800) श्री पारस चन्द्र जैन : क्या लोक निर्माण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में लोक निर्माण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति में नियुक्त ऐसे समस्त सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा पास करने/नहीं करने के उपरांत नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त हो रही है? ऐसे सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों की सूची संपूर्ण विवरण सहित देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार क्या समान प्रकरण होने के उपरांत भी लोक निर्माण विभाग संभाग उज्जैन एवं स्कूल शिक्षा विभाग उज्जैन के अंतर्गत ऐसे

सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी हैं जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत नियुक्ति दिनांक के एक वर्ष पश्चात् से नियमित वेतन वृद्धि प्रदान नहीं की गई है? यदि हाँ, तो क्यों? उन्हें कब तक प्रश्नांश (क) अनुसार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावेगा?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सज्जन सिंह वर्मा) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** लोक निर्माण विभाग में हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा पास न किये जाने के कारण किसी भी सहायक ग्रेड-3 को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। स्कूल शिक्षा विभाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ, लोक निर्माण विभाग में हिन्दी मुद्रलेखन की परीक्षा पास न किये जाने के कारण किसी भी सहायक ग्रेड-3 को वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा ने आपत्ति ली है कि मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक डी-आर-क्रमांक 1278/1566/1/ (3) /73 भोपाल दिनांक 20/04/1974 के अनुसार हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जावेगा। हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वेतनवृद्धि का लाभ दिया जावेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियमानुसार टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने के एक वर्ष पश्चात् वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है, जिसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 के कॉलम-5 में उल्लेखित की गई** है। जिन जिलों में बगैर टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण किये सहायक ग्रेड-3 को नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष पश्चात् वेतनवृद्धि दी गई है उनके सम्बंध में पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1** सूची अनुसार समस्त अर्हता प्राप्त सहायक ग्रेड-3 को एक वर्ष पश्चात् वेतनवृद्धि प्रदाय कर दी गई है।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

उज्जैन संभाग अंतर्गत अवैध मावे की फैक्ट्रियां

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

46. अता.प्र.सं.127 (क्र. 3801) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 01 जनवरी, 2017 के पश्चात् उज्जैन संभाग में कुल कितना प्रदूषित मावा विभाग ने कहाँ-कहाँ जप्त किया? **(ख)** रतलाम जिले में विभागीय आंकड़ों के अनुसार कुल कितना दूध का उत्पादन होता है तथा कुल कितना मावा जिले में बनाया जाता है? **(ग)** क्या रतलाम जिले में कम दूध उत्पादन के पश्चात् भी दूध उत्पादन का चार गुना मावा रतलाम से अन्यत्र भेजा जा रहा है? विगत 5 वर्षों में इसका अनुपातिक आंकलन खाद्य विभाग द्वारा कब-कब किया गया? क्या रतलाम जिले में अधिकारियों की अनियमितता के चलते अवैध मावे की फैक्ट्रियों पर गत 5 वर्षों में प्रकरण दर्ज करने के बावजूद भी यह मावा फैक्ट्रियां लगातार मावा बना रही हैं, जिसमें भारी मात्रा में यूरिया का उपयोग हो रहा है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** रतलाम जिला में वर्ष 2017-18 में कुल 280.51 हजार मेट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विनियम, 2011 के अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों को दूध एवं दुग्ध उत्पादों से संबंधित जानकारी प्रत्येक 06 माह में स्थानीय कार्यालय को प्रषित करने का प्रावधान है। रतलाम जिले में सांची दुग्ध संघ का एकमात्र प्लांट संचालित है। प्लांट के पिछले 06 माह के रिटर्न अनुसार कुल दूध संग्रहण 5760190 लीटर है। उक्त दूध में से 87250 लीटर दूध का उपयोग दुग्ध उत्पाद बनाने में किया गया है। **(ग)** जी नहीं। रतलाम जिले में अवैध मावा बनाने की फैक्ट्रियां संचालित नहीं होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>मुख्यमंत्री निवास में आयोजित पंचायतों पर व्यय की जानकारी</u>

[सामान्य प्रशासन]

47. अता.प्र.सं.136 (क्र. 3840) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014 से 2018 तक मुख्यमंत्री निवास में प्रति वर्ष कितनी पंचायतें बुलाईं गईं? वर्षवार संख्या व पंचायतों का नाम बतायें व कुल संख्या बतायें। **(ख)** उक्त खान-पान व्यवस्था पर प्रति व्यक्ति कितने रुपये की दर से किस-किस विभाग द्वारा भुगतान किया गया? संपूर्ण भुगतान की जानकारी देवें। **(ग)** उक्त अवधि की प्रत्येक पंचायतों में टेंट पर कितना व्यय किया गया? संपूर्ण जानकारी दी जावे।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** से **(ग)** किसान कल्याण तथा कृषि विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्यटन, स्कूल शिक्षा, गृह एवं वित्त विभाग से प्राप्त जानकारी क्रमश: **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 से 8 पर** है। शेष विभागों की जानकारी निरंक है।

दिनांक 24 जुलाई, 2019

<u>एकात्म यात्रा का क्रियान्वयन</u>

[संस्कृति]

48. अता.प्र.सं.100 (क्र. 3846) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के किन-किन जिलों में किस तारीख से किस तारीख तक एकात्म यात्रा निकाली गई? यात्रा को किस विभाग अथवा संस्था द्वारा संचालित किया गया है, मध्यप्रदेश के किन-किन स्थानों में एकात्म यात्रा निकली? **(ख)** शहडोल संभाग के अंतर्गत उक्त अवधि में एकात्म यात्रा के माध्यम से कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई? किन सदस्यों/पदाधिकारियों/संस्थाओं द्वारा

किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? **(ग)** शहडोल संभाग में शासन द्वारा एकात्म यात्रा में सड़क एवं हवाई परिवहन पर कितनी राशि व्यय हुई? यात्रा में शामिल होने वाले अतिथियों के नाम, आवागमन एवं उन्हें ठहराने की व्यवस्था पर हुये व्यय की जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** यात्रा के दौरान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की समस्त घोषणाओं का विवरण देवें?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) एकात्म यात्रा प्रदेश के समस्त जिलों में दिनांक 19 दिसम्बर 2017 से 22 जनवरी 2018 तक निकाली गई. यात्रा संस्कृति विभाग के पर्यवेक्षण में म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा संचालित की गई. आदेश की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार. (ख)** शहडोल संभाग के अंतर्गत शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिले के जिला कलेक्टर एवं संबंधित जिलों के जिला समन्वयक को कुल राशि रूपये 51.42 लाख उपलब्ध कराई गई. मदवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार.** भुगतान संबंधी जानकारी एकत्रित की जा रही है. **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है. **] (ख)** जिला कलेक्टरों के द्वारा कुल राशि रू. 45.46 लाख का भुगतान किया गया। विस्तृत **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार. (ग)** शहडोल संभाग में शासन द्वारा एकात्म यात्रा में सड़क मार्ग पर कुल राशि रूपये 12.67 लाख व्यय किया गया. **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार.** हवाई मार्ग पर विभाग द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया. अतिथियों शर्मा बंधु (श्री कौशलेन्द्र शर्मा एवं उनके साथी) के आवगमन पर रू. 30,082 एवं इन्हें ठहराने पर रू. 31094 का व्यय हुआ है. **(घ)** एकात्म यात्रा दिनांक 19/12/2017 से 22/1/2018 तक मध्यप्रदेश में निकाली गई. इस अवधि में मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त विभाग से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा की प्रति **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है.

दिनांक 22 जुलाई, 2019

जय किसान ऋण माफी योजना की जानकारी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

49. परि.अता.प्र.सं. 144 (क्र. 3866) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश सरकार द्वारा जय किसान ऋण माफी योजना अंतर्गत अभी तक प्रदेश के कितने किसानों को ऋण मुक्त कर दिया गया है? **(ख)** क्या किसानों द्वारा सहकारी समितियों एवं सहकारी बैंकों से ऋण लिया है? यदि हाँ, तो ऋण लेने वाले किसानों की जिलेवार संख्या की जानकारी दें। **(ग)** क्या प्रदेश सरकार द्वारा सहकारी समितियों व सहकारी बैंकों से ऋण लेने वाले कृषकों की ऋण माफी की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दे दी गई है? यदि हाँ, तो जिलेवार ब्यौरा दें।

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रदेश में अभी तक 2022731 लाख किसानों को भुगतान की स्वीकृति दी गई है। **(ख)** किसानों द्वारा सहकारी संस्थाओं से ऋण लिया गया है। जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत एम.पी. ऑनलाइन को दिनांक 31/03/2018 पर कुल 3215328 किसानों की जानकारी प्रेषित की गई है। एम.पी. आनलाइन को प्रेषित किसानों की जानकारी जिलेवार दिनांक 31/03/2018 की स्थिति पर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** मध्यप्रदेश शासन से राशि जिला बैंकों को दी गई है, की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार अनुसार** है। म.प्र. शासन से अभी तक राशि रूपये 425288.14 लाख दी गई है।

दिनांक 24 जुलाई, 2019

कैरोसिन डीलरों/शा.उ. मूल्य दुकानों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

50. अता.प्र.सं.105 (क्र. 3886) श्री राकेश गिरि : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** टीकमगढ़ जिले में कितने कैरोसिन थोक डीलर हैं? सूची प्रदान कराई जावे। क्या थोक डीलरों द्वारा आवंटन अनुसार संस्थाओं को कैरोसिन प्रदाय किया जाता है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो थोक डीलरों पर विगत 3 वर्षों में क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** फर्म मानिक चन्द्र उत्तम चन्द्र तथा नेशनल ट्रेडर्स टीकमगढ़ को विगत 03 वर्षों में कितना कैरोसिन प्राप्त हुआ? उक्त फर्मों द्वारा किसके आदेश से कितना कैरोसिन किन-किन संस्थाओं को प्रदाय किया गया? **(ग)** थोक डीलरों द्वारा कैरोसिन भण्डारण हेतु डिपो क्या शासन द्वारा निर्धारित मानक अनुसार बनाये गये हैं? क्या नगरीय क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका से नक्शा पास कराया गया है? क्या व्यावसायिक कार्य हेतु स्थित डिपो का डायवर्सन व्यवसायिक में कराया गया है? क्या विस्फोटक लाईसेंस लिया गया है? यदि नहीं, तो तत्काल डिपो निरस्त कर कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** विगत दिनों टीकमगढ़ जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के खाद्यान्न गेहूँ, बाजरा, चावल, कालाबजारी कर रहे मनोज साहू के गोदाम में पकड़े गये थे, जिसकी जाँच की गई? दोषियों पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो कब तक की जावेगी?

खाद्य मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है। जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** केरोसीन भंडारण स्थल के लिए अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत जारी किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा कोई मानक नहीं जारी किए गए हैं। किसी भी थोक विक्रेता द्वारा नगरपालिका से नक्शा पास नहीं कराया गया है। व्यवसायिक गतिविधियों हेतु भूमि के डायवर्सन के संबंध

में जानकारी एकत्रित की जा रही है। केरोसीन डीलरों के पास पेट्रोलियम एक्ट, 1934 के अंतर्गत जारी पेट्रोलियम नियम, 2002 के अनुसार अनुज्ञप्ति उपलब्ध है। **(घ)** जी हाँ। जांचोपरांत प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **]** **(ग)** केरोसीन भंडारण स्थल के लिए अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम नियम, 2002 के अंतर्गत जारी किए जाने का प्रावधान है। मेसर्स नेशनल ट्रेडर्स टीकमगढ़, मेसर्स ललित ऑयल एजेंसी जतारा एवं मेसर्स संजीव ऑयल ट्रेडर्स टीकमगढ़ के पास उक्त नियम में विहित प्रावधानों के अनुसार विस्फोटक अनुज्ञप्ति है। मेसर्स मानिक चन्द्र उत्तम चंद्र थोक केरोसीन विक्रेता के पास उक्त नियम के अंतर्गत फार्म-13 में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई भंडारण अनुज्ञप्ति है। किसी भी थोक विक्रेता द्वारा नगरपालिका से नक्शा पास नहीं कराया गया है। व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में सक्षम कार्यालय से डायवर्सन न प्राप्त करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मेसर्स संजीव ऑयल ट्रेडर्स टीकमगढ़, मेसर्स मानिक चंद्र उत्तम चंद्र थोक केरोसीन विक्रेता को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

<u>अन्त्योदय अन्न योजना में अनियमितता</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

51. परि.अता.प्र.सं. 117 (क्र. 4001) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन संभाग अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के तहत दिसंबर 2018 को प्राथमिकता परिवार की 24 श्रेणी में पात्र परिवार तथा कुल जनसंख्या जिलेवार, श्रेणीवार बतावें तथा जनवरी 2018 को प्रत्येक जिले में कितनी मात्रा में खाद्यान्न, शक्कर तथा केरोसिन वितरण किया गया? यह जनवरी 2017 से कितना फीसदी ज्यादा है? **(ख)** सिंहस्थ 2016 में साधु संतों और उनके अनुग्राहियों को जो राशन वितरित किया गया, उसकी खरीदी लागत कितनी थी तथा वितरण से कितनी राशि प्राप्त हुई? राशि के अंतर को वित्त के किस मद में समायोजित किया गया तथा सामग्री का क्रय किस फर्म व्यक्ति से किस दर में कितनी मात्रा में दिया गया तथा क्या इस वितरण में गड़बड़ी हुई? **(ग)** उज्जैन संभाग में वर्ष 2013 से 2018 के दौरान कितनी उचित मूल्य की दुकानों की जाँच में गड़बड़ी पाई गई? उनमें से कितनी दुकानों के खिलाफ पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया? शेष में क्यों नहीं कराया गया? क्या रतलाम में 8 दुकानों पर लगभग 10 करोड़ का घोटाला पाया गया? यदि हाँ, तो वह घोटाला किस प्रकार किस वर्ष में किया गया? **(घ)** प्रदेश में उचित मूल्य की दुकान पर लगाई गई मशीनों का जनवरी 2016 तक कुल कितना किराया भुगतान किया गया तथा मशीन लगाने से प्रदेश में कहाँ-कहाँ गड़बड़ियां पाई गईं तथा राशन की मात्रा के वितरण में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई? रतलाम में 10 करोड़ का घोटाला 8 दुकान पर पी.ओ.एस. मशीन लगाने के बाद कैसे हुआ? क्या इन मशीन लगाने वाली कंपनियों से इसकी वसूली की जावेगी?

खाद्य मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) प्रश्नांकित माह में प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत 24 श्रेणी के पात्र परिवारों की संख्या एवं सदस्यों की संख्या की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख)** जानकारी एकत्रित कराई जा रही है। **(ग)** उचित मूल्य की दुकानों की जांच में पायी गयी अनियमितता एवं पुलिस में किये गये अभियोजन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। FIR दर्ज करने का निर्णय प्रकरण की गंभीरता के आधार पर सक्षम अधिकारियों द्वारा लिया जाता है। रतलाम जिले में वर्ष-2014 से वर्ष-2017 के मध्य हुई अनियमितताओं के आधार पर 09 प्रकरण निर्मित कर पुलिस में अभियोजन की कार्यवाही की गई है जो विवेचनाधीन है। **(घ)** प्रदेश में जनवरी 2016 तक पी.ओ.एस. मशीनें नहीं लगाई गयी हैं। अत: भुगतान का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। वर्तमान में पी.ओ.एस. मशीन से 50 लाख पात्र परिवारों को बॉयोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन वितरण किया जा रहा है। रतलाम में अनुविभागीय अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रथम दृष्टया काल्पनिक परिवारों को राशन वितरण किये जाने की अनियमितता पायी जाने के कारण 08 उचित मूल्य दुकानों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी है। रतलाम में हुई अनियमितता पुलिस के पास विवेचनाधीन है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (ख)** सिंहस्थ 2016 में साधु-संतों और उनके अनुग्राहियों को वितरण हेतु गेहूँ एवं चावल का क्रय समर्थन मूल्य एवं समर्थन मूल्य से व्युत्पन्न दर पर किया गया उक्त सामग्री में गेहूँ से आटा तैयार करने के लिए मे. बी.पी. फूड प्रोडक्ट प्रा.लि. पीथमपुर से निविदा के माध्यम से आटा बनवाने में 2,390 रूपये प्रति मे. टन व्यय हुआ। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीदी गई धान का अन्य जिलों की राईस मिलों से मिलिंग कराकर प्रदाय कराया गया। शक्कर रूपये 33,370 प्रति टन की दर से क्रय की गई। अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति नगरीय विकास एवं आवास विभाग के संबंधित मद से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को प्राप्त हुई। इस वितरण में कोई गड़बड़ी का मामला संज्ञान में नहीं आया है।

राइस मिलों द्वारा पी.डी.एस. चावल का क्रय

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

52. परि.अता.प्र.सं. 124 (क्र. 4028) श्री बहादुर सिंह चौहान : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** उज्जैन जिले के राइस मिलर्स द्वारा दि. 01.01.17 से 31.5.19 तक कितना चावल कहाँ-कहाँ से क्रय किया या प्रोसेस करने के लिए लिया? जानकारी इकाईवार, माहवार देवें। **(ख)** क्रय एवं प्रोसेस के बिलों/दस्तावेजों का विवरण माहवार, इकाईवार देवें। **(ग)** जिन वाहनों से क्रय या प्रोसेस करने के लिए चावल इकाईयों तक पहुँचा उसकी सूची इकाईवार देवें। वाहन क्रमांक, वाहन प्रकार सभी माहवार इकाईवार देवें। **(घ)** पी.डी.एस. का चावल इन मिलों द्वारा क्रय करने पर विभाग ने अभी तक क्या कार्यवाही की है? इकाईवार बतावें।

खाद्य मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर) : [(क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** उज्जैन जिले के राइस मिलर्स दवारा दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 31 मई, 2019 तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग हेतु जिला जबलपुर, होशंगाबाद एवं सीहोर से धान प्राप्त की गई। इकाईवार एवं माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। **(घ)** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण होने वाले चावल को उज्जैन जिले के राईस मिलर्स द्वारा क्रय करने का कोई प्रकरण प्रकाश में न आने के कारण कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नही होता।

दिनांक 26 जुलाई, 2019

पट्टे की भूमि पर वन विभाग का कब्जा

[वन]

53. परि.अता.प्र.सं. 140 (क्र. 4251) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ग्राम भिड़की प.ह.नं. 53 रा.नि.मं. बहोरीबंद जि. कटनी स्थित ख. नं. 41/1 एवं 41/2 रकबा एक-एक हेक्टेयर, जो कि ग्राम कुआं तहसील बहोरीबंद जिला कटनी निवासी क्रमशः शांति बाई पिता फुलुआ एवं सिमिया बाई पति प्रेमलाल को पूर्व में पट्टे पर प्रदान की गई थी, का सीमांकन दिनांक 27-4-19 को करने पर उक्त भूमि पर वन परिक्षेत्र बहोरीबंद, जिला कटनी द्वारा बांस की रोपणी करना पाया है? **(ख)** प्रश्नांश (क) का यदि हाँ, तो यह बतलावें कि क्या ग्राम कुआं/भिड़की तहसील बहोरीबंद जिला कटनी में वन विभाग द्वारा पूर्व में बांस रोपण का कार्य कराया था? **(ग)** प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हाँ, तो यह वृक्षारोपण किस ख.नं. के कितने क्षेत्र में कब किया गया तथा वर्तमान समय में यह किस स्थिति में है? रोपे गए बांस के कितने पौधे जीवित हैं? **(घ)** क्या विभाग राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27-4-19 को किये गए सीमांकन से सहमत हैं, तो विभाग उक्त भूमि के पट्टाधारियों को कब्ज़ा कब तक प्रदान करेगा? यदि नहीं, तो क्या विभाग नियमानुसार पट्टाधारियों की जमीन का स्थल निर्धारण कर कब्ज़ा प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? नहीं तो क्यों नहीं?

वन मंत्री (श्री उमंग सिंघार) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। **(ख)** एवं **(ग)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खसरों की भूमि पर वन विभाग का कब्जा नहीं होने से शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दिसम्बर, 2019

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही

[सामान्य प्रशासन]

1. परि.अता.प्र.सं. 6 (क्र. 63) श्री रामपाल सिंह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सांसद/विधायकों से प्राप्त पत्रों की अलग पंजी बनाने तथा निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से सांसद/विधायकों को अवगत कराने के निर्देश हैं? **(ख)** जिला रायसेन में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन विभागों के अधिकारियों को कब-कब प्राप्त हुए? उक्त पत्रों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता को कब-कब अवगत कराया? **(ग)** उक्त प्राप्त पत्रों में से किन-किन पत्रों पर कार्यवाही नहीं की गई तथा क्यों तथा किन-किन पत्रों पर की गई कार्यवाही से प्रश्नकर्ता विधायक को अवगत नहीं कराया तथा क्यों? कब-तक अवगत करायेंगे? **(घ)** क्या प्राप्त पत्रों पर जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा एस.डी.एम., तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र भेजने के उपरांत उन पत्रों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं की गई? यदि कार्यवाही की गई तो किन-किन पत्रों पर कितने दिन में क्या-क्या कार्यवाही की गई?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जी हाँ। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** सभी प्राप्त पत्रों पर कार्यवाही की जाकर प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया गया है। **(घ)** प्राप्त पत्रों पर जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा यथोचित कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों/जनपदों को प्रेषित किये गये हैं। पत्र भेजने के उपरांत संबंधित अधिकारियों द्वारा यथोचित कार्यवाही कर प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य को अवगत कराया गया है। जानकारी प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित परिशिष्ट में दर्शाई गई है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

शिक्षक विहीन विद्यालय

[स्कूल शिक्षा]

2. परि.अता.प्र.सं. 5 (क्र. 68) श्री रामपाल सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रायसेन जिले में कौन-कौन से विद्यालय शिक्षक विहीन हैं? किन-किन विद्यालयों में छात्र संख्या के मान से तथा विषयवार शिक्षक नहीं हैं? उक्त विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की

नियुक्ति क्यों नहीं की गई कब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी? **(ख)** किन-किन विद्यालयों के भवन जर्जर हालत में है? कौन-कौन से विद्यालय भवन विहीन हैं? किन-किन विद्यालयों में किचिन शेड नहीं हैं? कहां-कहां के भवन अनुपयोगी है तथा किन-किन के भवन कब से निर्माणाधीन तथा उनका कार्य कब तक पूर्ण होगा? **(ग)** 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक माननीय मंत्री जी को प्रश्नकर्ता के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर माननीय मंत्री जी ने किन-किन अधिकारियों को क्या-क्या कार्यवाही के निर्देश दिये? पत्र वार जानकारी दें। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के निर्देशों के पालन में संबंधित अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? प्रश्नकर्ता विधायक को पत्रों के जवाब क्यों नहीं दिये? पत्रों में उल्लेखित किन-किन समस्याओं का निराकरण हुआ? किन-किन समस्याओं का निराकरण क्यों नहीं हुआ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) रायसेन जिला अंतर्गत 105 शिक्षक विहीन शालाओं में अतिथि शिक्षकों व अन्य शिक्षकों के द्वारा अध्यापन की व्यवस्था की गई है। विषयवार रिक्त पदों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर अतिथि शिक्षकों से नियुक्ति की गई है। अतः शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** रायसेन जिले में शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों की जर्जर भवन की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर भवन में संचालित नहीं है। भवन विहीन शालाओं की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार।** जिले की सभी शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में किचिन शेड उपलब्ध है। कोई भी भवन अनुपयोगी नहीं। निर्माणाधीन भवन की **सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-चार अनुसार** है। निर्माण कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा बताना संभव नही है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ग)** एवं **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। कृत कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। कार्यवाही किये जाने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - "एक"

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

जिला योजना समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति

[योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी]

3. परि.अता.प्र.सं. 9 (क्र. 111) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा : क्या वित्त मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला योजना समितियों में विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किये जाने का प्रावधान है? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या धार जिले में विशेष आमंत्रित दो सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है? यदि हाँ, तो आदेश किस दिनांक को जारी हुए तथा आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या दिनांक 15/06/2019 को जिला योजना समिति जिला धार की बैठक में समिति सदस्य व अधिकारियों को छोड़कर समस्त

पत्रकारगण सहित सभी अर्द्धशासकीय व्यक्तियों को बैठक कक्ष से बाहर जाने के निर्देश दिये गये थे तथा इसका कड़ाई से पालन करवाया गया था? **(घ)** यदि हाँ, तो दिनांक 15/06/2019 की बैठक में प्रश्नकर्ता विधायक की आपत्ति के उपरांत भी दो व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित सदस्य बताकर बैठक में सम्मिलित करवाया गया तथा उनके सुझाव व आपत्तियां प्राप्त की गई जबकी उनके सदस्य के रूप में मनोनयन के आदेश प्रश्न पूछे जाने की दिनांक तक जारी नहीं हुए? **(ड.)** क्या इस प्रकार दोषपूर्ण व अलोकतांत्रिक तरीके से समिति को भ्रम में रखकर नियम विरूद्ध जिला योजना समिति की बैठक का संचालन करना उचित है? क्या इस पर दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई की जावेगी?

वित्त मंत्री (श्री तरूण भनोत) : [(क) से **(ड.)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख)** जी नहीं। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** माननीय श्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद द्वारा एक सदस्य को जिला योजना समिति में बैठकों हेतु प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ड.)** प्रश्नांश (क) से (घ) के परिप्रेक्ष्य में विषयांकित बैठक दोषपूर्ण, अलोकतांत्रिक एवं नियम विरूद्ध नहीं की गई। अतः किसी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

जिला बैतूल अंतर्गत काजू की फसल का उत्पादन

[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

4. परि.अता.प्र.सं. 1 (क्र. 297) श्री निलय डागा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश एग्रो क्लाईमेटिक जोन के आधार पर विषयांकित जिले हेतु कौन-कौन सी उद्यानिकी फसलें अनुशंसित की गईं हैं? प्रति उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या काजू फसल भी इस जिले हेतु अनुशंसित है, वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा जिले के कुल कितने किसानों के यहां कितने रकबे में काजू फल का पौधा रोपण किया गया है? इसकी सूची किसानवार, जाति, ग्राम, विकासखण्ड, रोपित रकबा, रोपित पौधों की संख्या एवं प्रश्नांश अवधि में जीवित पौधों की संख्या सहित जानकारी दें। **(ग)** क्या किसानों के यहां काजू पौधों की जीवित संख्या नगण्य है? इसके कारण स्पष्ट करें। **(घ)** क्या भारत सरकार की योजना के किसी भी घटक में आंशिक व पूर्णत: परिवर्तन करने का अधिकार जिले को प्रदत्त है? **(ड.)** यदि हाँ, तो निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें? यदि नहीं, तो क्या जिला बैतूल के अधिकारी द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन को ताक पर रखते हुए काजू उच्च घनत्व ड्रिप रहित योजना का क्रियान्वयन किया गया, जिससे जिले के किसानों को अनुदान से वंचित रहना पड़ा है? अवगत करावें। **(च)** इसके उपरांत भी वर्ष 2019-20 में वृहद स्तर पर किसानों के यहां काजू पौधा रोपण किस वजह से लिया जा रहा है? **(छ)** क्या किसानों के नाम पर विभाग द्वारा काजू पौधे क्रय करने के पीछे भ्रष्टाचार करना प्रतीत होता है, यदि हाँ, तो इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री (श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव) : [(क) से **(छ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" एवं "स" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। **(घ)** जी नहीं। **(ड.)** प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। जिला बैतूल को वर्ष 2018-19 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत सामान्य दूरी ड्रिप रहित के अंतर्गत लक्ष्य प्रदान किये गये थे। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। उच्च घनत्व ड्रिप रहित पौध रोपण किये जाने के बिन्दु की जांच की जा रही है। **(च) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(छ)** जी नहीं। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

<u>जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत किसानों का ऋण राशि की स्वीकृति</u>

[सहकारिता]

5. परि.अता.प्र.सं. 28 (क्र. 319) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत जय किसान फसल ऋण माफी योजनांतर्गत वर्ष 2018-19 में मध्यप्रदेश शासन द्वारा राशि रू. 2.00 लाख तक की ऋण माफी होना थी? यदि हाँ, तो समितियों द्वारा किसानों के ऋणमाफी के प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को भेजे गये थे? कलेक्टर लॉगिन से जय किसान ऋण माफी के शेष रहे किसानों की जानकारी समितिवार, ग्रामवार, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत होना शेष है की जानकारी से अवगत करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार समितियों के द्वारा जिन हितग्राहियों के ऋण माफी के प्रकरण कलेक्टर लॉगिन से स्वीकृति से शेष रहे है उन क्या किसानों को डिफाल्टर घोषित किया है? यदि हाँ, तो इसमें किसानों का क्या दोष हैं? यदि नहीं, तो कितने किसानों को कुल कितनी ऋणराशि/खादबीज सामग्री प्रदाय की गई है? पृथक-पृथक संख्यात्मक जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) अनुसार जयकिसान ऋणमाफी योजनान्तर्गत कलेक्टर लॉगिन से ऋण स्वीकृति से शेष रहे किसानों को कब तक ऋण राशि माफी स्वीकृत की जाकर डिफॉल्टर से मुक्त किया जाकर ऋण राशि/खाद बीज प्रदाय किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) जी हाँ। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजगढ़ से संबद्ध 140 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के अंतर्गत ऋण माफी हेतु 88,167 पात्र कृषक थे, जिसमें से 67,462 कृषकों की ऋण माफी स्वीकृति हेतु कलेक्टर लॉगिन पर भेजे गये, जिसमें से 67,384 प्रकरण कलेक्टर लॉगिन से स्वीकृत हुये, 78 प्रकरण लंबित हैं, जिनके निराकरण हेतु कार्यवाही प्रचलित है, जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शेष कृषकों के नाम व ग्राम की जानकारी न होने से वांछित जानकारी

देना संभव नहीं है। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) के अनुसार एम.पी. ऑनलाईन के लॉगिन की तकनीकी समस्या के निराकरण के उपरांत कार्यवाही की जावेगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **]** **(क)** जी हाँ। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजगढ़ से संबद्ध 140 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के अंतर्गत ऋण माफी हेतु 88,167 पात्र कृषक थे, जिसमें से 67,462 कृषकों की ऋण माफी स्वीकृति हेतु कलेक्टर लॉगिन पर भेजे गये, जिसमें से 67,384 प्रकरण तत्समय कलेक्टर लॉगिन से स्वीकृत हुये तथा 78 प्रकरण लंबित थे। इन 78 प्रकरणों को ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में स्वीकृति प्रदाय की जा चुकी है। इस प्रकार वर्तमान में कलेक्टर लॉगिन पर भेजे गये समस्त कृषकों के ऋण माफ हो चुके हैं तथा किसी भी ऐसे कृषक की ऋण माफी शेष नहीं है।

<u>मिलावट खोरों पर सैम्पल के आधार पर की गयी कार्यवाही</u>

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

6. परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र. 531) श्री विश्वास सारंग : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब, कहां-कहां मिलावट खोरी को लेकर सैम्पल लिये गये? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत क्या सभी सैम्पल लैब में जांच के लिए भेजे गये थे? यदि हाँ, तो क्या सभी की जांच रिपोर्ट आ गयी है? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आयी है? कारण दें। नियम बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत जिन सैम्पलों की जांच रिपोर्ट आ गयी है, उन पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** से **(ग)** 01 जनवरी, 2019 से प्रदेश में कुल 13681 नमूने जांच हेतु लिये गये है, जांच हेतु लिये गये उक्त नमूनों में 7730 का विश्लेषण कर प्रयोगशालाओं द्वारा संबंधित जिले को जांच प्रतिवेदन प्रेषित कर दी गई है। जिन नमूनों के जांच प्रतिवेदन प्रयोगशाला द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विनियम, 2011 के अंतर्गत 14 दिवसों की अवधि में नहीं प्रेषित की जा सकी है। ऐसे नमूनों की विश्लेषण अवधि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 विनियम, 2011 में धारा 46 (3) के परंतुक अनुसार अवधि बढ़ाये जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार समय अवधि विस्तारित करने का प्रावधान है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

<u>प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि हितग्राहियों को समय पर जारी न होना</u>

[नगरीय विकास एवं आवास]

7. अता.प्र.सं.52 (क्र. 544) श्री विश्वास सारंग : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र सरकार ने

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी-कितनी राशि किस-किस दिनांक को राज्य सरकार को जारी की गई है? दिनांकवार, राशिवार जानकारी दें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत उक्त राशि को विभाग द्वारा किस-किस दिनांक को किस-किस नगरीय निकाय को आवंटित किया गया? दिनांकवार, निकायवार, आवंटित राशिवार जानकारी दें? **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत संबंधित निकायों ने किस-किस दिनांक को हितग्राहियों को राशि जारी की गयी है? क्या यह सही है कि नकायों द्वारा हितग्राहियों को समय पर राशि जारी नहीं की गई है? **(घ)** प्रश्नांश 'क' से 'ग' के तहत क्या समय पर राशि जारी न होने के कारण गरीबों के आवासों का काम रूका हुआ है? यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं? क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या और कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? नियम बतायें?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री (श्री जयवर्द्धन सिंह) : [(क) प्रश्नाधीन अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क'** के विवरण अनुसार दिनांकों में राशि प्रदाय की गई। **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत उक्त राशि को **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख'** के विवरण अनुसार दिनांकवार निकायों को राशि आवंटित की गई। **(ग)** जानकारी वृहद स्वरूप की होने से संभागीय कार्यालय के माध्यम से संकलित की जा रही है। **(घ)** उत्तर (ग) के अनुसार। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार** है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार नियत भौतिक प्रगति के आधार पर हितग्राहियों को राशि मुक्त की जाती है। **(घ)** जी नहीं। योजना के बी.एल.सी. घटक अन्तर्गत आवासीय इकाईयों का निर्माण स्वयं हितग्राहियों द्वारा किया जाता है। भौतिक प्रगति अनुसार राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की जाती है। किसी निकाय की शिकायत प्राप्त होने पर परीक्षण कराकर रिपोर्ट अनुसार समय-समय पर कार्यवाही की जाती है।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

भोपाल के मार्गों पर डिवाइडर लगाया जाना

[गृह]

8. अता.प्र.सं.128 (क्र. 833) श्रीमती कृष्णा गौर : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने भोपाल सम्भागायुक्त को शहर मार्गों, पर डिवाइडर लगाये जाने हेतु माह अप्रैल अथवा मई 2019 में कोई पत्र लिखा गया था? यदि हाँ, तो पत्र की प्रति उपलब्ध कराई जावे। **(ख)** डिवाइडर लगाने का काम किस एजेन्सी को दिया गया था? ऐजेंसी द्वारा प्रश्न दिनांक तक कुल कितने डिवाइडर लगाये जाने थे एवं प्रश्न दिनांक तक कितने डिवाइडर पूर्ण किये गये? विवरण सहित बताया जावे।

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) जी हाँ। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार**।

परिशिष्ट - "दो"

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना

[सामान्य प्रशासन]

9. परि.अता.प्र.सं. 74 (क्र. 936) श्री विनय सक्सेना : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** EOW द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. किस आदेश/निर्देश के तहत उनकी अधिकारिक वेबसाईट http://eow.mp.gov.in में सार्वजनिक की जा रही हैं? उक्त आदेश की प्रति देवें। **(ख)** क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WRIT PETITION क्रमांक 68/2016 में पारित आदेश लोकायुक्त संगठन मध्यप्रदेश की विशेष पुलिस स्थापना पर लागू होता है? यदि हाँ, तो उक्त आदेश का पालन लोकायुक्त मध्यप्रदेश द्वारा क्यों नहीं किया जा रहा है? **(ग)** लोकायुक्त एवं EOW द्वारा वर्ष 2014 से 2018 तक की समयावधि में ऐसे कितने मामलो की जांच की गयी जिसमें मंत्री/मुख्यमंत्री/वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी आरोपित रहे हो? प्रकरणों की सूची देवें तथा प्रकरणवार अद्यतन स्थिति बतावें। **(घ)** क्या यह सही है कि राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा 24 सितम्बर 2019 को पारित आदेश में, लोकायुक्त को सूचना अधिकार अधिनियम की परिधि से मुक्त रखने संबंधी राज्य सरकार की दिनांक 25 अगस्त 2011 की अधिसूचना को अमान्य किया है?यदि हाँ, तो आदेश की प्रति देवें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 68/2016 में पारित आदेश एवं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के आदेश क्रमांक 564/2018 दिनांक 04.04.2018 के तहत् सार्वजनिक की जाती है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। उक्त आदेश के पालन में लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना शाखा द्वारा दर्ज प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति गोपनीय स्वरूप की होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में पोर्टल पर प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है। अभियुक्त द्वारा चाहे जाने पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति दी जा रही है। **(ग)** लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में 61 एवं विशेष पुलिस स्थापना के 13 कुल 74 प्रकरणों की जांच की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार** है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में कुल 6 प्रकरणों की जांच की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

युवाओं हेतु रोजगार एवं मासिक भत्ते का लाभ

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

10. परि.अता.प्र.सं. 106 (क्र. 1211) श्री राम लल्लू वैश्य : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वचन पत्र में दिया गया है कि स्थानीय लोगों को औद्योगिक परियोजना में 70% रोजगार दिया जायेगा तो क्या सिंगरौली जिला में दिया गया? यदि हाँ, तो कंपनीवार 70% रोजगार प्राप्त युवाओं की सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, दिया गया तो कब तक दिया जावेगा? **(ख)** वचन पत्र में बेरोजगार युवाओं को 4000/- रूपये प्रति माह देने का वादा किया गया है तो क्या दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो सिंगरौली विधान सभा क्षेत्र के युवाओं की सूची उपलब्ध करायें। यदि नहीं, दिया जा रहा है तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** एम.एस.एम.ई. प्रोत्याहन योजना अंतर्गत लाभान्वित उद्योगों को अपने कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान करना अनिवार्य है। वर्तमान में सिंगरौली जिले में किसी इकाई को उक्त योजना अंतर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है। यदि किसी इकाई द्वारा उक्त योजना में आवेदन किया जाता है, तो उसमें कुल रोजगार का 70 प्रतिशत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को प्रदान किया जाने पर ही उसे योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जाएगा। **(ख)** प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लागू की गयी है। इस योजना अंतर्गत युवा बेरोजगारों को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4000/- रूपये प्रतिमाह स्टाइपेंड (Stipend) पर नगरीय निकायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत युवाओं को उनकी पात्रता अनुसार प्रतिमाह मानदेय प्रदाय किया जाता है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

प्रतिनियुक्ति एवं प्रभार पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

11. परि.अता.प्र.सं. 110 (क्र. 1236) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के समस्त विभागों में कौन-कौन से कर्मचारी एवं अधिकारी जिले में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति एवं प्रभार में कार्य कर रहे हैं? उन समस्त कर्मचारियों का विवरण नामवार, पदवार व समस्त विभागवार उपलब्ध करायें। **(ख)** क्या सतना जिले में विभाग के उच्च अधिकारी होने के बावजूद भी दूसरे विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को उससे निचले स्तर के कर्मचारियों को प्रभार दिया जाता है, जिसके कारण उच्च अधिकारियों में हीन भावना उत्पन्न होती है व कार्य प्रभावित होता है? यदि हाँ, तो स्पष्ट करें। **(ग)** सतना जिले में अगर अन्य विभागों के किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के द्वारा कार्य लिया जा रहा है। ऐसे कर्मचारी और अधिकारी को कब तक हटाने

की कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? **(घ)** यदि शासन के पास विभागवार अधिकारी व कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो शासन द्वारा कर्मचारियों को पद अनुसार कार्य का आवंटन कब तक किया जावेगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख)** जी नहीं। **(ग)** एवं **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट - ''तीन''

दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

कृषकों की भूमि का अधिग्रहण

[राजस्व]

12. परि.अता.प्र.सं. 93 (क्र. 1313) श्री मनोज चावला : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रतलाम जिले से निकल रही मुंबई-दिल्ली 8 लाइन एक्सप्रेस-वे में कुल कितने कृषकों की कितने हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई है? कृषक, गाँव, खसरा नंबर तथा रकवा सहित सूची उपलब्ध करावें तथा बतावें कि भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार किस-किस कृषक को कितना मुआवजा दे दिया गया है या दिया जावेगा? **(ख)** क्या अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार कलेक्टर गाइड-लाइन से मात्र 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है जबकि आसपास के राज्यों में 4 से 6 गुना मुआवजा दिया जा रहा है? क्या शासन अधिनियम में संशोधन कर 6 गुना मुआवजा देगी? अधिनियम की प्रति देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जमीन पर मुआवजे में 12% ब्याज किस-किस दिनांक से देय हैं तथा मुआवजे के विरोध में उच्च न्यायालय इंदौर में कितने परिवाद दायर किए गए हैं? उनके क्रमांक तथा दिनाँक बतावें। **(घ)** क्या पूर्व सरकार ने सड़कों के निर्माण में लगे ठेकेदारों को लाभ देने के लिए अधिनियम में दोगुना मुआवजा तय किया था? शासन किसानों को 6 गुना मुआवजा दिलाने के लिए कोई कदम उठाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री गोविन्द सिंह राजपूत) : [(क) मुम्बई-दिल्ली 8-लेन एक्सप्रेस-वे में रतलाम जिले के अन्तर्गत कुल 58 ग्रामों की भूमि प्रभावित हो रही है ग्राम के नाम, कृषकों की संख्या तथा अधिगृहित किये जाने वाला क्षेत्रफल की विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पारित किये गये अवार्ड की **छायाप्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के प्रपत्र-2 अनुसार** है। पारित किये गये अवार्ड के विरुद्ध वर्तमान तक 50 ग्रामों के कुल 1371 कृषकों को 8,66,45,055 रुपये का भुगतान किया जा चुका है शेष कृषकों को भुगतान की प्रकिया जारी है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के**

प्रपत्र-3 अनुसार है। **(ख)** अधिनियम के प्रावधानों तथा राज्य शासन द्वारा निर्धारित कारक के आधार पर मुआवजा भुगतान किया जा रहा है। अधिनियम की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। **]** **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जमीन के मुआवजे पर अधिनियम की धारा 3ए के राजपत्र का समाचार पत्र में प्रकाशन किये गये दिनांक से 12 प्रतिशत के मान से आंकलन किया जावेगा। रतलाम जिले में 8 लेन से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में एक परिवाद दायर किया गया है, जिसकी याचिका क्रमांक WP 16808/2019- बद्रीलाल धाकड़ एवं अन्य विरुद्ध म.प्र. शासन दिनांक 26.09.2019 है। **(घ)** जी नहीं। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज प्रकरणों की जानकारी

[सामान्य प्रशासन]

13. परि.अता.प्र.सं. 130 (क्र. 1347) श्री कुणाल चौधरी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आर्थिक अपराध शाखा में छात्रवृत्ति, सिंहस्थ, ई-टेंडर, राशन वितरण, मध्यान्ह भोजन, ड्रग ट्रायल्स को लेकर कौन-कौन से प्रकरण दर्ज हैं तथा कौन-कौन सी शिकायतें विवेचना में शामिल हैं तथा दर्ज प्रकरणों में कितनों के चालान प्रस्तुत कर दिये गये हैं। **(ख)** ई.ओ.डब्ल्यू. में प्राप्त शिकायत पर जांच पूर्ण कर निरस्त कर या प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही औसतन कितने दिन में हो जाती हैं? वर्ष 2018 में की गई शिकायतों के आधार पर उत्तर दें। क्या इसके लिए कोई नियम है? यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत शिकायतों में नियम का पालन हुआ? **(ग)** ई.ओ.डब्ल्यू. में उत्तर दिनांक तक कितनी शिकायतें विवेचना/अनुसंधान में हैं तथा कितनी शिकायतों में विवेचना/ अनुसंधानपूर्ण हो चुका है, लेकिन प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है तथा कितने दर्ज प्रकरण है जिनके चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए हैं तथा ऐसे कितने प्रकरण हैं, जो न्यायालय में लंबित हैं। **(घ)** ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सक्सेस प्रतिशत क्या है? वर्ष 2008 से 2018 तक वर्षवार बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) आर्थिक अपराध शाखा में छात्रवृत्ति संबंधी 28 अपराधिक प्रकरण, सिंहस्थ संबंधी 02 अपराधिक प्रकरण, ई-टेंडर संबंधी 01 अपराधिक प्रकरण, राशन कार्ड संबंधी 01 अपराधिक प्रकरण, मध्यान्ह भोजन संबंधी 02 अपराधिक प्रकरण, ड्रग ट्रायल्स संबंधी प्रकरण निरंक, कुल 34 अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। 55 शिकायतें विवेचनातर्गत हैं। दर्ज प्रकरणों में 03 चालान प्रस्तुत किये गये है, शेष सभी प्रकरणों में विवेचना गतिशील हैं। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। **(ग)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में उत्तर दिनांक तक 1706 शिकायतें जांच में है तथा 518 अपराधिक प्रकरण विवेचनाधीन हैं। 167 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। **(घ)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में सक्सेंस प्रतिशत वर्ष 2008-72%, वर्ष 2009-46%, वर्ष 2010-68%, वर्ष 2011-42%, वर्ष 2012-67%, वर्ष 2013-33%, वर्ष 2014-70%, वर्ष 2015-71%, वर्ष

2016-52.94%, वर्ष 2017-73.33%, वर्ष 2018-68.18% हैं। **] (ख)** आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों की जांच एवं निराकरण के संबंध में समस्त कार्यवाही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जिसमें किसी भी प्रकार की निश्चित समयावधि उल्लेखित नहीं है। तथापि वर्ष 2018 में की गई शिकायतों के आधार पर वर्ष 2018 में प्राप्त कुल 2443 शिकायतों का निराकृत की गयी, जिसमें प्रकरण दर्ज करने तथा नस्तीबद्ध आदि की कार्यवाही की गई है। इस प्रकार औसत रूप से प्रतिदिन लगभग 5 शिकायतों का विधि अनुसार निराकरण किया गया है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

<u>अशासकीय स्कूलों की मान्यताओं में अनियमितता</u>

[स्कूल शिक्षा]

14. परि.अता.प्र.सं. 101 (क्र. 1384) श्री संजय शुक्ला : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर जिला अंतर्गत आने वाले अशासकीय स्कूलों को मान्यता देने का क्या मापदण्ड हैं? पिछले 07 वर्षों में किन-किन स्कूलों को मान्यता प्रदाय की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या सभी अशासकीय स्कूल शिक्षा विभाग के मापदण्डों को पूर्ण करते हुये संचालित किये जा रहे है? इनकी मॉनिटरिंग किनके द्वारा की जाती है? प्रतिवर्ष स्कूलों की जाँच की जाती है? **(ग)** क्या प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी इन्दौर द्वारा संज्ञान में लाया गया कि 09 स्कूल नियमों के हिसाब से संचालित नहीं होने पर भी मान्यता दी जा चुकी है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या उक्त अनियमितता की जाँच विभाग द्वारा कि गई थी? जांचकर्ता अधिकारी कौन थे? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या DPC के डोंगल से किये गये अपराध को सायबर सेल इन्दौर के माध्यम से भी जाँच कराई गई थी? सायबर सेल एक्ट अनुसार किसी अधिकारी के डोंगल का उपयोग कोई अन्य कर्मचारी कर सकता है? स्पष्ट करें। क्या इसमें सम्बंधित अधिकारी DPC की भूमिका भी संदिग्ध थी? DPC भी अपने डोंगल को अन्य किसी को देने पर दोषी नहीं है? क्या DPC को उसी विभाग में पदस्थ रहने पर जाँच प्रभावित नहीं होगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) प्रारंभिक स्तर के अशासकीय स्कूलों को मान्यता देने के मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार।** हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को मान्यता देने के मापदण्ड **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार।** वर्ष 2013-14 में मण्डल द्वारा 45 अशासकीय संस्थाओं को नवीन मान्यता एवं 550 अशासकीय संस्थाओं को मान्यता नवीनीकरण किया गया था। सूची पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-स-अनुसार। प्रारंभिक स्तर के विगत 07 वर्षो में मान्यता प्रदान किये गये अशासकीय स्कूलों की जानकारी संकलित की जा रही है तथा इंदौर जिलान्तर्गत पिछले 6 वर्षो में जिन हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों को मान्यता दी गई है,उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द**

अनुसार। (ख) जी हाँ। विकासखण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। नवीन मान्यता/मान्यता नवीनीकरण के आवेदन उपरान्त संबंधित विद्यालय की जांच की जाती है। जी हाँ। प्रतिवर्ष जिन अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु आनलाईन आवेदन प्राप्त होते है, उनकी जांच जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षणोपरान्त प्राचार्यों का दल गठित कर स्कूलों की जांच कराई जाती है। **(ग)** जी हाँ। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जांच दल का गठन कर श्री राजेश कुमार सिंह,प्राचार्य शा.कन्या उ.मा.वि.देपालपुर एवं श्री विजय मण्डलेश्वर,प्राचार्य,शा.उर्दू कन्या उ.मा.वि.हाथीपाला द्वारा जांच करवाई गयी। **(घ)** जी हाँ। जांच प्रचलन में होने से जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। शेषांश जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अवगत कराया जा सकेगा। **]** **(क)** प्रारंभिक स्तर के विगत 07 वर्षों में मान्यता प्रदान किये गये अशासकीय स्कूलों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है।**

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

<u>युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना</u>

[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

15. अता.प्र.सं.158 (क्र. 1395) श्री कमल पटेल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 17 दिसम्बर, 2018 से प्रश्न दिनांक तक हरदा जिलान्तर्गत तकनीकी शिक्षा, कौशल, विकास एवं रोजगार विभाग में कितने-कितने युवा बेरोजगारों को किस-किस पद पर नियुक्ति दी गई? **(ख)** हरदा जिले में कितने-कितने युवा बेरोजगारों को सरकार के वचन पत्र अनुसार 4000 रूपए बेरोजगार भत्ता दिया गया यदि नहीं, दिया गया तो क्यों नहीं दिया है? कब तक युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना प्रारंभ कर दिया जाएगा? **(ग)** हरदा जिले में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? शासन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 17 दिसम्बर 18 से प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्य योजना बनाई? नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई? **(घ)** क्या यह सही है कि म.प्र. के बेरोजगारी की दर बढ़ रही है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है?

मुख्यमंत्री (श्री कमल नाथ) :[(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** निरंक। **(ख)** प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लागू की गयी है। इस योजना अंतर्गत युवा बेरोजगारों को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए, 4000/- रूपये प्रतिमाह स्टाईपेंड (Stipend) पर नगरीय निकायों में अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है। हरदा जिले में इस योजना अंतर्गत 72 युवा बेरोजगारों को पात्रता अनुसार मानदेय प्रदाय किया गया है। **(ग)** हरदा जिले में नवम्बर 2019 तक कुल 19447 बेरोजगार पंजीकृत हैं। मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा 17 दिसम्बर 2018 से प्रश्न दिनांक तक शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना,

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना संचालित की जा रही है। **(घ)** विभाग द्वारा बेरोजगारी की दर मापने संबंधी कोई सर्वे नहीं किया जाता है।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता में अनियमितता

[चिकित्सा शिक्षा]

16. परि.अता.प्र.सं. 107 (क्र. 1449) श्री विनय सक्सेना : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमानुसार पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु आवेदक के स्वामित्व तथा प्रबंधन में एक अस्पताल होना चाहिए? यदि हाँ, तो विगत वर्ष 2018-19 में ऐसे कितने अशासकीय पैरामेडिकल महाविद्यालयों को मान्यता दी गयी जिनके पास स्वयं के स्वामित्व एवं प्रबंधन में अस्पताल नहीं था? सभी की जिलेवार सूची देवें तथा जिला स्तर निरिक्षण समिति द्वारा की गयी तत्सम्बंध में अनुशंसा के दस्तावेज देवें। **(ख)** पैरामेडिकल कौंसिल मध्यप्रदेश के रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति हेतु क्या-क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वर्तमान रजिस्ट्रार के योग्यता सम्बन्धी दस्तावेज भी देवें। **(ग)** क्या वर्तमान रजिस्ट्रार आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं? यदि नहीं, तो 6 वर्षों से किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त क्यों नहीं किया गया है? **(घ)** वर्ष 2019-20 हेतु जबलपुर जिले में कितनी संस्थाओं द्वारा पैरामेडिकल कॉलेज संचालन की मान्यता हेतु आवेदन किया गया है? सभी की सूची तथा सभी संस्थाओं के आवेदन की प्रति देवें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** रजिस्ट्रार के पद की अर्हता संबंधी नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। वर्तमान में रजिस्ट्रार का पद प्रभार में है। **(ग)** उत्तरांश (ख) के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** वर्ष 2019-20 हेतु जबलपुर जिले में 20 संस्थाओं द्वारा पैरामेडिकल कॉलेज संचालन की मान्यता हेतु आवेदन किया गया है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 18 दिसम्बर, 2019

मिलावट खोरी संबंधी प्रकरणों की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

17. परि.अता.प्र.सं. 150 (क्र. 1471) श्री अनिरुध्द मारू : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश सरकार के अशुद्धि के खिलाफ शुद्धि अभियान के तहत मनासा विधानसभा क्षेत्र की रामपुरा तहसील के गांव दुधलाई, में दिनांक 23/10/019 को खाद्य अधिकारी के नेतृत्व में महावीर दूध डेयरी पर छापेमार कार्यवाही की गयी, जिसमें 9350 लीटर मिलावटी दूध पाया गया, साथ ही पाम आइल व डिटर्जेंट की

थैलियां भी मौके से पाई गयी? दूध डेयरी में किस-किस पदार्थ के नमूने जप्त किये गए और उनकी लैब रिपोर्ट में क्या पाया गया? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही हुई? इसमें मौका पंचनामा, जाँच प्रतिवेदन, एफ.आई.आर. की प्रति एवं अन्य सभी जानकारी उपलब्ध करवाई जावे **(ग)** उक्त प्रकरण में रासुका लगाने का प्रावधान है या नहीं? अगर प्रावधान है तो रासुका में प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया? कारण स्पष्ट करें। **(घ)** प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान में विगत एक वर्ष में कितने प्रकरणों में रासुका की कार्यवाही की गयी? **(ड.)** अशुद्धि के खिलाफ पूरे प्रदेश में विगत एक वर्ष में क्या-क्या कार्यवाही की गयी और उनमें से कितने मामलों में प्रकरण दर्ज करवाए गए और उनमे क्या कार्यवाही प्रचलित है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री (श्री तुलसीराम सिलावट) : [(क) से **(ड.)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 23.10.2019 व 24.10.2019 को ग्राम दुदलाई तहसील रामपुरा जिला नीमच स्थित महावीर दूध डेयरी व उनके रीटेल काउन्टर-लाल बाग रामपुरा पर निरीक्षण कर 19 नमूने जांच हेतु लिये गये, जिनमें 05 नमूने गाय भैस का मिश्रित दूध, 01 चमेली डिटर्जेंट पाउडर का नमूना (07 पेकेट जप्त), 01 नमूना बंगाल टायगर स्किम्ड मिल्क पावडर (23 किलो ग्राम जप्त), 01 नमूना माल्टो प्लस ड्राईट ग्लूकोस सायरप, पैक्ड (548 किलो ग्राम जप्त), 01 नमूना अमूल स्किम्ड पावडर (173 किलो ग्राम जप्त), 01 नमूना कमानी पॉम आईल पेक्ड (103 किलो ग्राम जप्त), 01 नमूना ग्लिसरॉल (02 लीटर जप्त), 01 नमूना लिक्विड सोप व रीटेल काउन्टर से 07 नमूने लिये गये जिनमें 02 नमूने गाय भैस का मिक्स दूध, 01 नमूना मावा, 01 नमूना पनीर, 01 नमूना क्रीम, 01 नमूना दही, 01 नमूना घी इस प्रकार कुल 19 नमूने जांच हेतु लिये गये है व 1560 किलो ग्राम सल्फयूरिक अम्ल जप्त किया गया है। दिनांक 23.10.2019 व 24.10.2019 को जांच हेतु लिये गये 19 नमूनों में से 13 नमूनों के जांच प्रतिवेदन जारी किये जा चुके है, जिनमें 01 पनीर अवमानक, 04 मिश्रित दूध असुरक्षित, 01 चमेली डिटर्जेंट पावडर, 01 ग्लिसरॉल, 01 लिक्विड सोप का नमूना अपद्रव्य स्तर, 01 मिश्रित दूध अवमानक व क्रीम, मावा, अमूल स्किम्ड पावडर, बंगाल टाईगर स्किम्ड मिल्क पावडर का नमूना मानक स्तर का पाया घोषित किया गया है, शेष 06 नमूनें विश्लेषणाधीन है। **(ख)** उक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2019 को रामपुरा थाने में धारा 272, 273 व धारा 420 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर में प्रकरण क्रमांक-एम.सी.आर.सी. 51929/2019 पर माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने एवं मध्य प्रदेश विधानसभा प्रश्नों के ग्राहाता हेतु आवश्यक नियम एवं अन्य मुख्य शर्तों के नियम 36 (19) के पालन में दस्तावेज (पंचनामा) उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं। अपितु प्रकरण के निराकरण पश्चात् पृथक से पंचनामा की प्रति उपलब्ध कराई जा सकेगी। संलग्न - म.प्र. विधानसभा प्रश्नों के ग्राहता हेतु आवश्यक

नियम एवं प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर के समक्ष विचाराधीन होने की प्रति। **(ग)** दिनांक 23.10.2019 व 24.10.2019 को जांच हेतु लिये गये 19 नमूनों में से 13 नमूनों के जांच प्रतिवेदन कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला नीमच को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा प्रेषित किये गये है, जिनमें 01 पनीर अवमानक, 04 मिश्रित दूध असुरक्षित, 01 चमेली डिटर्जेंट पावडर, 01 ग्लिसरॉल, 01 लिक्विड सोप का नमूना अपद्रव्य पाये जाने पर जिला कलेक्टर नीमच द्वारा प्रकरण में विचारोपरांत आरोपी विक्रेता के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिनांक 10.12.2019 को कार्यवाही की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत् आरोपी विक्रेता के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अरोपी विक्रेता के विरूद्ध की गई कार्यवाही का आदेश संलग्न है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ड.) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

[स्कूल शिक्षा]

18. अता.प्र.सं.125 (क्र. 1593) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिए जाने की अधिकतम अवधि कितने वर्ष की है? क्या नियमानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि की जा सकती है? यदि हाँ, तो कितने वर्ष? क्या प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि किये बगैर किसी को कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के क्रम में यदि नहीं, तो विभाग में वर्तमान में कितने ऐसे लोकसेवक है जो प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि बगैर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है? विभागवार, पद एवं नाम सहित जानकारी दें एवं उनको मूल विभाग में कब तक वापिस किया जावेगा? राज्य स्तर के कार्यालयों में यथा राज्य शिक्षा केन्द्र, लोक शिक्षण संचालनालय, मा.शि.मण्डल PGBT, डाईट आदि में किन-किनकों प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है? यदि हाँ, तो कार्यालयवार, नामवार एवं प्रथमवार प्रतिनियुक्ति पर कब से लिया गया है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अंतर्गत कर्मचारियों को क्या शिक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया था? यदि हाँ, तो इनके द्वारा स्कूलों में पदस्थ रहकर कब-कब, कितने दिन शैक्षणिक कार्य किया? नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को क्या प्रतिनियुक्ति के दौरान वरिष्ठता, प्रमोशन/उच्च वेतनमान के लाभ दिये गये हैं? यदि हाँ, तो ऐसे व्याख्याता, प्राचार्य, शिक्षकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें जिनको लाभ दिया गया था। नामवार जानकारी उपलब्ध करावें। क्या इन सभी को कार्यमुक्त कर शिक्षकविहीन/रिक्त संस्थाओं में पदस्थ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार**। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार**। जी नहीं। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार**। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार**। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो एवं 'तीन' अनुसार। (घ)** प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के संबंध में प्रतिनियुक्ति के दौरान शासन के प्रचलित नियमों/निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>उर्दु शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति</u>

[स्कूल शिक्षा]

19. अता.प्र.सं.126 (क्र. 1609) श्री आरिफ मसूद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में उर्दू शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विगत 03 वर्षों में शासन द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए शासन की क्या योजना है? कब तक रिक्त पद भर दिये जायेंगे? **(घ)** स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 44-6/95/बी-2/20 भोपाल, दिनांक 08 मई 95 के अनुसार श्री दिग्विजय सिंह समिति के प्रतिवेदन पर मंत्री परिषद के निर्देशानुसार जहाँ 10 से अधिक बच्चे उर्दू पढ़ना चाहें वहा उर्दू शिक्षकों की व्यवस्था की जाना है पर अब तक कितने उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हुई है? जानकारी उपलब्ध करायें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) 47 जिलों की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। 05 जिलों मंडला, डिण्डौरी, झाबुआ, अलीराजपुर एवं बड़वानी की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की भर्ती हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं, भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(घ)** स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-44-20/95/बी-2/20, दिनांक 23 सितम्बर 95 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 44-20/95/20-2 दिनांक 20 मई 1995 के अनुक्रम में उपलब्ध अभिलेख अनुसार अब तक 1664 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। **] (क)** जिलेवार संशोधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "चार"</u>

<u>स्कूल शिक्षा विभाग में खेल नियुक्ति</u>

[स्कूल शिक्षा]

20. अता.प्र.सं.183 (क्र. 1982) श्रीमती राजश्री रूद्र प्रताप सिंह : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** स्कूल शिक्षा विभाग अन्तर्गत (अ) मध्यप्रदेश खेल एवं युवा

कल्याण विभाग की ओर से कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों, विक्रम पदक विजेताओं को, एकलव्य पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को किन-किन खेलों में नियुक्तियां दी गई? (ब) खेलवार ओर नियुक्तिवार जानकारी उपलबध करावें? **(ख)** राष्ट्रीय शालेय चैम्पियनशिप में जिला विदिशा के कितने विक्रम, एकलव्य उत्कृष्ट खिलाडियों का विगत 05 वर्षों में किन-किन खेल विधाओं में उपयोग किया गया है? विगत 05 वर्षों की खेलवार एवं नामवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** लोक शिक्षण संचालनालय खेल प्रकोष्ठ में अपर संचालक से लेकर नीचे क्रम में उप संचालक, सहायक संचालक, कीड़ा अधिकारी, खेल प्रकोष्ठ में सहायक ग्रेड-1-2-3 में कौन-कौन अधिकारी, कर्मचारी कब से पदस्थ हैं और खेलों में इनकी क्या-क्या योग्यताएं है? किन-किन राष्ट्रीय चैम्पियनशिप तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की सामान्य प्रशासन विभाग की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया है? संबंधितों के प्रमाण-पत्र सहित खेलवार एवं नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। **(ग) जानकरी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार] (क)** स्कल शिक्षा विभाग में म.प्र. खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से उत्कृष्ट खिलाड़ियों, विक्रम पदक विजेताओं को, एकलव्य पुरस्कार प्राप्त विजेताओं को नियुक्ति नहीं दी गई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>जिला परियोजना समन्वयक द्वारा कार्यवाही</u>

[स्कूल शिक्षा]

21. अता.प्र.सं.223 (क्र. 2065) श्री कमल पटेल : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र हरदा श्री आर.एस. तिवारी द्वारा मापदंड से कार्यवाही किये जाने के संबंध में पूर्व विधायक श्री मनोहरलाल राठौर जी द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को लिखे गए पत्र दिनांक 02.07.2019 एवं 07.08.2019 पर विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** क्या उक्त शिकायती पत्र पर विभाग द्वारा जांच कराई गई? यदि हाँ, तो जांच का प्रतिवेदन उपलब्ध कराए? यदि जांच नहीं कराई गई? तो इसका क्या कारण है? **(ग)** उक्त शिकायती पत्र पर की गई जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रभुराम चौधरी) : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** प्राप्त शिकायत की जांच कर प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। **(ख)** जी हाँ। जांच प्रतिवेदन **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "पाँच"</u>